Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

4 मार्च, 2011
खण्ड 1, अंक 1
अधिकृत विवरण

विषय सूची
शुक्रवार, 4 मार्च, 2011

	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष का त्याग पत्र	(1)1
राज्यपाल महोदय का अभिभाषण (सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1)1
शोक प्रस्ताव	(1)17
घोषणाएं :–	(1)28
(क) उपाध्यक्ष महोदय द्वारा चेयरपर्सनज के नामों की सूची	
(ख) सचिव द्वारा राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी	
कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट	(1)30
वाक–आउट	(1)34
अध्यक्ष का चुनाव	(1)35
बधाई भाषण	(1)36
सदन की मेज पर रखे गए/पुन: रखे गए कागज–पत्र	(1)47
विशेषाधिकार मामले के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना	(1)50
(i) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरुद्ध	
(ii) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरुद्ध	
(iii) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरुद्ध	
(iv) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरुद्ध	

मूल्य : 124

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 4 मार्च, 2011

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 3.37 बजे मध्याह्न पश्चात् हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

अध्यक्ष का त्यागपत्र

श्री सचिव : मान्यवर, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री हरमोहिन्दर सिंह चड्ढा ने हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष पद से 28 जनवरी, 2011 को बाद दोपहर त्याग-पत्र दे दिया है ।

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, in pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to report that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly at 2.00 P.M., today the 4th March, 2011 under Article 176(1) of the Constitution. A copy of the address is laid on the Table of the House.

A copy of the address is laid on the Table of the House.

उपाध्यक्ष महोदय तथा माननीय सभासदो !

हरियाणा विधानसभा के वर्ष 2011 के प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं आप सभी तथा हरियाणा के लोगों के सुख और समृद्धि की मंगलकामना करता हूँ।

2. मेरी सरकार अपने पहले कार्यकाल में ऐसा प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने में सफल रही, जिससे समावेशी विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विकास को बढ़ावा मिला है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ। मेरी सरकार की विश्वसनीयता एवं सराहनीय उपलब्धियों के लिए हरियाणा के विवेकशील लोगों ने इसे नया जनादेश दिया।

3. मेरी सरकार वर्तमान कार्यकाल में जन–मैत्रीपूर्ण नीतियों के माध्यम से अपने विकास के एजेण्डा को आगे बढ़ाने के साथ–साथ आम आदमी, दबे–पिछड़े, वंचित और सीमांत लोगों पर ध्यान केन्द्रित करने पर बल दे रही है। सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के छः वर्ष पूरे

कर रही है। इस अरसे में हरियाणा राज्य अनेक मामलों में दूसरे राज्यों से निश्चित रूप से अग्रणी हुआ है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के प्रेरक मार्गदर्शन और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व में हरियाणा अपने लोगों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए संकल्पबद्ध है।

4. हरियाणा विकास का एक नया प्रतीक बन गया है। इसकी नीतियों का दूसरे राज्यों और केन्द्र की नीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी चर्चा आमतौर पर होती रहती है। वर्ष 1999-2000 के स्थिर मूल्यों पर, प्रमुख राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद पर, नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकॉनोमिक रिसर्च की नवीनतम अनुसंधान अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का प्रथम स्थान है। वर्ष 2007-08 के मूल्यों पर राज्य का प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद 59,008 रुपए है, जोकि राज्यों में सर्वाधिक आंका गया है। एसोचैम द्वारा प्रकाशित एक और अध्ययन के अनुसार आर्थिक मंदी के प्रभाव के बावजूद हरियाणा में प्रतिभूत निवेश को क्रियान्वित करने की दर 81 प्रतिशत रही, जोकि महत्वपूर्ण अंतर के साथ देश में सर्वाधिक है।

5. राज्य की अर्थव्यवस्था पिछले वर्षों के वित्तीय दबाव को पीछे छोड़ते हुए मंदी से उबर चुकने के लक्षण दर्शा रही है। वर्ष 2010-11 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 9 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि 7.2 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। वर्ष 2010-11 में राजस्व प्राप्तियां 23.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की सम्भावना है, जबकि वर्ष 2009-10 में यह दर 13.8 प्रतिशत थी। सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी पद्धति के महत्व को समझते हुए, भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचना के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी भागीदारी का ढांचा व माहौल बनाने के लिए एक सुपरिभाषित पी.पी.पी. नीति बनाई गई है। मेरी सरकार नीतिगत पहलों और विकास कार्यक्रमों में नागरिक समाज की भूमिका के महत्व को पूरी तरह से समझती है। नागरिक समाज की भागीदारी को बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ अनुबंध की एक नीति भी अधिसूचित की गई है।

6. मेरी सरकार प्रजातांत्रिक प्रणाली के अति महत्वपूर्ण भाग, सरकार के स्थानीय स्तरों का सशक्तिकरण करके शासन के विकेन्द्रीकरण में दृढ़ विश्वास रखती है। तदनुसार, शक्तियों का विकेन्द्रीकरण नीतिबद्ध तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष 2010 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव सफलतापूर्वक और शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाए गये। त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के 68,000 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं। इनमें 36.56 प्रतिशत महिलाएं और 21.70 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि 151 ग्राम पंचायतें सर्वसम्मति से चुनी गई हैं। शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के आम चुनाव भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से करवाए गये। नगर निगम गुड़गांव और नव गठित छः नगर निगमों के चुनाव भी यथासमय करवाए जाएंगे।

कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां

7. मेरी सरकार इस तथ्य से भलीभांति अवगत है कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कृषि ही शायद एकमात्र सुरक्षा कवच है। यद्यपि इसका हमारे सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग

20 प्रतिशत ही योगदान है, लेकिन यह अभी भी हमारी अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का मुख्य साधन है। वास्तव में, कृषि राज्य की समृद्धि की कुंजी है। हमारी समृद्धि का श्रेय किसानों के विश्वास और उनके सहयोग को जाता है। इसलिए मेरी सरकार उनके विश्वास पर खरा उतरने और उनकी समृद्धि तथा खुशहाली के लिए हर सम्भव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि उद्योगों के माध्यम से, कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन करके और संवर्धित मूल्य में किसानों का उचित हिस्सा सुनिश्चित करके किसानों की समृद्धि प्रोन्नत की जा सकती है।

8. चालू दशक में खाद्यान्न उत्पादन या तो घटा है या स्थिर हो गया है। यह एक गम्भीर चिंता का विषय है। इसलिए दूसरी हरित क्रांति लाने की आवश्यकता है। यह क्रांति गतिशील दृष्टिकोण, केन्द्रित नीतियों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नये साधनों के अनुप्रयोग से लाई जा सकती है। मृदा के स्वास्थ्य में गिरावट, भूमि जोतों का घटता आकार, उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग, गुणवत्तापरक बीजों की अपर्याप्त उपलब्धता, कम मशीनीकरण, जल संसाधनों का क्षय, ज्ञान अंतर और प्रौद्योगिकियों का कम प्रचार आदि कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं।

9. इन समस्याओं के समाधान के लिए और इस गरिमा सम्पन्न सदन में मेरी सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए एक सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक की अध्यक्षता में किसान आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग हरियाणा में कृषि की वर्तमान स्थिति का आकलन करेगा और राज्य में मुख्य कृषि पद्धतियों की उत्पादकता, लाभप्रदता तथा संधारणीयता बढ़ाने बारे उपाय सुझाएगा। यह प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक नीतियों में तालमेल बैठाने के लिए भी सिफारिशें करेगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी उपाय सुझाएगा।

10. रबी 2010–11 के दौरान कृषि विभाग ने सरकारी अभिकरणों और निजी बीज उत्पादकों द्वारा उत्पादित गेहूं के प्रमाणित बीजों की सम्पूर्ण मात्रा को राज्य के कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिशों के अनुसार फफूंदी नाशकों से उपचारित करने का एक साहसिक कदम उठाया है। बीजों को उपचारित करने की पूरी लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की गई है। सरकार 30 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से किसानों को मृदा परीक्षण की सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है। रासायनिक उर्वरकों के वैज्ञानिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 9.80 लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए जा चुके हैं। यह आशा की जाती है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक शेष सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। पांच मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। चार नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं इस वित्तीय वर्ष में जोड़ी जा रही हैं और किसानों के घर–द्वार पर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए तीन नई सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं, जिनमें से एक सचल प्रयोगशाला सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत होगी।

11. सरकार ने गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। चालू पिराई सीजन के दौरान राज्य द्वारा सुझाया गया गन्ने का मूल्य अगेती, मध्यम और पछेती किस्मों के लिए क्रमशः 220 रुपए, 215 रुपए और 210 रुपए प्रति क्विंटल है, जोकि देशभर में सर्वाधिक है।

12. हाल ही में करनाल के घरौंडा में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया गया है। फलों के लिए इसी तरह का एक केन्द्र सिरसा में स्थापित हो रहा है। ये दोनों इंडो–इस्राइल परियोजनाएं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं। फूलों के लिए भी तीसरा केन्द्र चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में स्थापित होने की आशा है।

13. सरकार कृषि उत्पादों की विपणन सुविधाओं के प्रति यथोचित रूप से चिंतित है। जिला सोनीपत के गन्नौर में 800 करोड़ रुपए के निवेश से लगभग 500 एकड़ भूमि पर एक अति आधुनिक टर्मिनल मार्केट स्थापित की जा रही है। इस मण्डी में श्रेणीकरण, छंटाई, पैकेजिंग आदि की आधुनिक सुविधाएं होंगी।

14. माननीय सभासदो ! मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने हिसार में लाला लाजपत राय पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करके इस गरिमा सम्पन्न सदन में किए गये वायदे को पूरा किया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां अनुसूचित जातियों के परिवारों के दुधारू पशुओं का बीमा मुफ्त किया जाता है। गौ–सेवा आयोग गठित करने के लिए विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका है। शीघ्र ही आयोग भी अधिसूचित कर दिया जाएगा।

15. प्रति इकाई मत्स्य उत्पादकता में हरियाणा का देश में द्वितीय स्थान है। मत्स्यपालन के लिए अब तक अप्रयुक्त जल संसाधनों, जैसे कि जल भराव क्षेत्रों, दलदल वाले क्षेत्रों, सीवेज और खारे पानी वाली भूमि का प्रयोग करने का प्रस्ताव है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जिला करनाल के एक प्रगतिशील मत्स्य किसान ने मूल्य संवर्धन उत्पादों के लिए निजी क्षेत्र में एक अंतर्देशीय मत्स्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तहत सैंट्रल इन्स्टीच्यूट ऑफ फिशरीज़ टैक्नोलोजी, कोचीन के तकनीकी सहयोग से फिश फार्म–कम–प्रोसैसिंग इकाई स्थापित की गई है। यह उत्तरी भारत के किसी भी अंतर्देशीय राज्य में अपनी तरह का पहला उद्यम है। इससे अस्थि रहित मछलियों और मूल्य संवर्धित उत्पादों की मांग पूरी होगी, जिससे अधिक आय होगी और दूसरे प्रगतिशील मत्स्य किसानों के लिए यह इकाई प्रशिक्षण केन्द्र का काम भी करेगी। इस केन्द्र की स्थापना से राज्य में मत्स्यपालन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

भू–प्रशासन

16. पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति मेरी सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है। जैसाकि हम सब जानते हैं कि यह देश के दूसरे राज्यों के लिए एक आदर्श बन गई है। इसकी अनूठी विशेषताओं में नो–लिटीगेशन बोनस, बढ़ी हुई वार्षिकी, अपनी भूमि से वंचित होने वाले किसानों को रियायती दरों पर आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक भू–खण्ड देना और विशेष मामलों में उनके आश्रितों को रोजगार देने का प्रावधान करना शामिल है।

17. माननीय सभासदो ! मेरी सरकार भूमि मालिक के लिए भूमि के महत्त्व और मूल्य को समझती है। यह एक आर्थिक परिसम्पत्ति होने के साथ–साथ भूमि मालिक परिवार के लिए सुरक्षा का एक साधन भी है। मालिक और भूमि के बीच एक भावनात्मक सम्बन्ध भी है। जोतों

का आकार छोटा व अलाभकारी होने की वजह से यह सम्बन्ध और भी प्रगाढ़ हो गया है। ये मुख्य सरोकार हैं, जिन्होंने मेरी सरकार की भूमि अधिग्रहण और पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास नीति को प्रेरित किया है। हालांकि सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कुछ मामलों में भूमि अधिग्रहण अपरिहार्य हो जाता है, लेकिन सरकार भूमि मालिकों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार का यह सतत प्रयास रहेगा कि भूमि मालिक उसकी भूमि का अधिग्रहण होने पर यह महसूस न करे कि वह छला गया है।

18. वर्ष 2010 में हरियाणा बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित रहा। लगभग 5.08 लाख एकड़ क्षेत्र में विभिन्न फसलें खराब हुईं। इस संकट से दक्षता एवं प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। फसलें खराब होने पर किसानों को राहत के रूप में 257.60 करोड़ रुपए दिए गये। राहत मानदण्डों को बढ़ाया गया, जोकि भारत सरकार के मानदण्डों से कहीं अधिक हैं।

19. निष्पादकों के पुत्र या पुत्रियों, पिता या माता, पति या पत्नी के पक्ष में निष्पादित, स्व–अर्जित अचल सम्पत्ति हस्तांतरण के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में एक प्रतिशत की छूट दी गई है। हरियाणा के सेवारत और सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कार्मिकों द्वारा आवासीय सम्पत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में एक प्रतिशत की छूट दी गई है। उन भू–स्वामियों के मामले में, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, यदि वे मुआवजा मिलने के दो वर्ष के अन्दर–अन्दर हरियाणा में वैकल्पिक कृषि भूमि की खरीद करते हैं तो उस पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क माफ किया गया है।

सहकारिता

20. समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सीमान्त और वंचित लोगों की ऋण आवश्यकताएं पूरी की जाएं। इस दिशा में लगभग 35,000 सहकारी समितियों और इनके 57 लाख से भी अधिक सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। मेरी सरकार ने किसानों की रहन रखी गई भूमि का वर्तमान वास्तविक मूल्यांकन करके फालतू भूमि को रहनमुक्त करने का एक प्रगतिशील कदम उठाया है। जनवरी 2011 तक 1,60,000 एकड़ से अधिक भूमि रहनमुक्त की गई, जिससे 24,206 किसानों को लाभ हुआ है।

21. मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार के आग्रह पर राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एस.एल.बी.सी.) की उप–समिति ने यह अनुशंसा की है कि ऋण के लिए रहन हेतु भूमि का मूल्यांकन करने का आधार हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित फ्लोर रेट होने चाहिए। एस.एल.बी.सी. द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि रहन रखी जाने वाली भूमि ऋण राशि के अनुपात में होगी। वाणिज्यिक बैंकों की ऋण अदला–बदली स्कीम के तहत वर्तमान सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने की हरियाणा सरकार की सिफारिश को भी राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने मान लिया है। संशोधित मानदण्डों को अग्रणी बैंक ने पहले ही क्रियान्वित कर दिया है।

22. राज्य में कृषि उत्पादों के विपणन की अतिरिक्त सुविधाएं जुटाने के लिए हैफेड ने ए.सी.ई. डैरीवेटिव्स एण्ड कमोडिटी एक्सचेंज, मुम्बई में 15 प्रतिशत हिस्सा पूंजी के लिए 16.50 करोड़ रुपए का निवेश किया है। हैफेड द्वारा गुड़गांव में एक आधुनिक वाणिज्यिक

भण्डारगृह स्थापित किया जा रहा है। हैफेड ब्रांड नाम से पहली बार बासमती चावल और खाद्य तैल का संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया गया है।

सिंचाई

23. मेरी सरकार रावी–ब्यास नदियों के पानी में से हरियाणा का वैध हिस्सा लेने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में नए सिरे से प्रयास किए जाएंगे। मेरी सरकार उपलब्ध सीमित जल संसाधनों का समुचित उपयोग करने और पानी का समान वितरण सुनिश्चित करने की ओर विशेष ध्यान देती रहेगी ।

24. गुड़गांव और औद्योगिक कस्बों मानेसर, बहादुरगढ़, सांपला और बादली की पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा एन.सी.आर. चैनल अप्रैल 2011 तक पूरा होने की सम्भावना है। दिल्ली को पेयजल आपूर्ति करने के लिए बनाया जा रहा कैरियर लाइंड चैनल पूरा होने वाला है। कौशल्या डैम वर्ष 2011–12 में पूरा होने की आशा है। इस परियोजना से न केवल पंचकूला में पेयजल की बढ़ोतरी होगी, बल्कि बाढ़ की रोकथाम भी होगी। सरकार यमुना नदी पर रेणुका, किशाऊ और लखवार व्यासी अपस्ट्रीम भण्डारण बांध बनाने के लिए निरन्तर पैरवी कर रही है। रेणुका बांध के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण सम्बन्धी अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन वन सम्बन्धी अनुमति अपेक्षित है। मेवात फीडर कैनाल परियोजना को नया रूप दिया जा रहा है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अम्बाला जिलों के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने वाली दादूपुर–शाहबाद–नलवी सिंचाई स्कीम पूर्ण होने वाली है। इस परियोजना से यमुना नदी के फालतू पानी का प्रयोग होगा और भूमिगत जल का पुनर्भरण भी होगा।

जल संरक्षण

25. जल संरक्षण मेरी सरकार की उच्चतम प्राथमिकता बनने जा रहा है। महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, जल के संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए वर्ष 2011 को 'जल संरक्षण वर्ष' मनाने का निर्णय लिया गया है। सभी परियोजनाओं में जल संरक्षण उपाय लागू किए जाएंगे। सभी सम्बन्धितों के लिए वर्षा जल संग्रहण और पानी का पुनःचक्रण अनिवार्य किया जाएगा। जल संरक्षण की आवश्यक नीतियां लागू करने और जल संरक्षण की संस्कृति विकसित करने के लिए एक जल संरक्षण मिशन गठित किया जाएगा।

26. राज्य के मुख्य जलाशयों का जीर्णोद्धार करने का प्रस्ताव है, जिनमें कुरुक्षेत्र की बीबीपुर झील, सिरसा की ओटू झील, रेवाड़ी के मसानी बैराज का जलाशय, झज्जर की भिण्डावास झील और मेवात की कोटला झील शामिल हैं। इसी तरह के विकास के लिए राज्यभर में दूसरे जलाशयों की पहचान करने का भी प्रस्ताव है। जल के रिसाव से होने वाली हानि को कम करने के लिए नहरी तंत्र और जल मार्गों की चरणबद्ध ढंग से मरम्मत की जा रही है। सरकार का वर्ष 2011–12 के दौरान जल बचत योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। फसल उत्पादकता में सुधार लाने और जल दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए 50,000 हैक्टेयर क्षेत्र को भूमिगत पाइप लाइन प्रणाली के तहत लाया जाएगा। लेजर लेवलर से भूमि समतल करने को पहले से बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा उप–मृदा जल परिरक्षण अधिनियम, 2009 को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

बिजली एवं अक्षय ऊर्जा

27. माननीय सभासदो ! मेरी सरकार बिजली क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राज्य ने विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं, जिससे पिछले कुछ वर्षों में बिजली की माँग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में 5,000 मैगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ाने और सम्प्रेषण एवं वितरण तंत्र में समानुपातिक निवेश करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2004–05 में आपूर्ति की गई 578 लाख यूनिटों की तुलना में इस समय औसत दैनिक आधार पर 903 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की जा रही है। पिछले छः वर्षों के दौरान 243 नए सब–स्टेशनों का निर्माण किया गया, 440 मौजूदा सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई और 3,305 किलोमीटर लम्बाई की नई सम्प्रेषण लाइनें बिछाई गईं।

28. सभी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में बेहतरीन प्रगति हो रही है। खेदड़, हिसार में 1200 मैगावाट की राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना की दोनों इकाइयाँ क्रमशः 38 माह और 44 माह की एक रिकॉर्ड अवधि में अप्रैल, 2010 और अक्तूबर, 2010 में चालू हुईं। झज्जर में हरियाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और एन.टी.पी.सी. के संयुक्त उपक्रम के रूप में 1500 मैगावाट की इन्दिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना स्थापित की जा रही है। इस परियोजना की 500 मैगावाट की पहली इकाई 1 नवम्बर, 2010 को चालू हुई। इसकी दूसरी और तीसरी इकाइयाँ भी क्रमशः जुलाई, 2011 और जनवरी, 2012 तक तैयार हो जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, झज्जर में महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना की 660–660 मैगावाट की दो इकाइयां क्रमशः दिसम्बर, 2011 और मई, 2012 में चालू होने की सम्भावना है।

29. जिला फतेहाबाद के गांव गोरखपुर में 700–700 मैगावाट की दो इकाइयों का परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा पूर्व–परियोजना गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।

30. ग्रामीण घरेलू और कृषि लोड को अलग करने से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में बड़ा सुधार हुआ है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 2.36 लाख परिवारों में से 1.77 लाख परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत लाया गया है। सरकार ने राज्य में अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए भी बहुत से कदम उठाए हैं। पहले ही 128 मैगावाट के ग्रीन पावर प्रोजैक्ट स्थापित किए जा चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के तहत लगभग 132 करोड़ रुपए के निवेश से कुल 8.8 मैगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 9 स्वतन्त्र बिजली उत्पादकों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत सरकार की वित्तीय सहायता से जिला सिरसा के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइटें उपलब्ध करवाने की अपनी तरह की पहली परियोजना क्रियान्वित करके हरियाणा देश में अग्रणी राज्य बन गया है।

31. सरकारी भवनों के निर्माण में ऊर्जा दक्षता लाने हेतु हरियाणा दर अनुसूची (एच. एस.आर.) को संशोधित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। विभिन्न उपायों के फलस्वरूप वर्ष 2009–10 के दौरान लगभग 165 मैगावाट की कुल ऊर्जा बचत हुई है। इस गरिमा सम्पन्न सदन को यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वर्ष 2009–10 के दौरान ऊर्जा बचत उपायों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है।

ग्रामीण विकास

32. सदन को यह बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 3.40 लाख पात्र अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग (क) तथा बी.पी.एल. परिवारों को 100–100 वर्ग गज के आवासीय प्लाट निःशुल्क आवंटित किए गए हैं। शेष पात्र परिवारों को ऐसे प्लाटों के आवंटन का कार्य प्रगति पर है। इन्दिरा आवास योजना के तहत 10,476 मकानों का निर्माण किया जा चुका है और 10,132 मकान निर्माणाधीन हैं।

33. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 45.27 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। इस योजना के लाभार्थियों के लगभग 3.80 लाख बैंक तथा डाकघर खाते खोलना वित्तीय समावेश की दिशा में एक दूरगामी कदम है। माननीय सभासदो ! मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार मनरेगा के तहत कामगारों को मजदूरी के तौर पर 179 रुपए प्रतिदिन का भुगतान कर रही है, जोकि देश के राज्यों में उच्चतम मजदूरी दर है। चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 8,355 विकास कार्य शुरू करवाए गए और 2,413 कार्य पूरे हो चुके हैं। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के तहत 18,171 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई, जिनमें से 53 प्रतिशत अनुसूचित जाति से और 84 प्रतिशत महिलाएं हैं। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत दो जिलों नामतः महेन्द्रगढ़ और सिरसा में 2,836 कार्य शुरू करवाए गए और 1,696 कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

34. मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई है कि समुदाय संचालित स्वच्छता अभियान बड़ा सफल रहा है। इतना ही नहीं, भारत सरकार द्वारा 1,248 ग्राम पंचायतों और एक खण्ड को निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदान किया गया है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट व्यावहारिक परिवर्तन आया है, जिससे समुन्नत स्वच्छता की माँग पैदा होगी। मुख्यमंत्री स्वच्छता प्रोत्साहन पुरस्कार से अभियान को नई गति मिली है।

शिक्षा

35. मेरी सरकार यह अच्छी तरह जानती है कि 21वीं सदी ज्ञान की शताब्दी है। शिक्षा ज्ञान की कुंजी है। इसलिए, सरकार का ध्यान शिक्षा अवसंरचना के विस्तार और सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार पर रहेगा। सरकार का संकल्प इस तथ्य में झलकता है कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान शिक्षा में राज्य का निवेश तीन गुणा बढ़ा है। शिक्षा की पहुँच की समता और गुणवत्ता, दोनों में स्पष्ट सुधार हुआ है। क्षेत्रीय असंतुलन को सही करने, लिंग समानता में सुधार करने और अध्ययन उपलब्धि स्तरों को ऊँचा उठाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2006 की अपेक्षा स्कूल न जाने वाली लड़कियों का अनुपात घटकर लगभग आधा रह गया है। स्कूल न जाने वाले लड़कों की संख्या में भी निरन्तर कमी आई है। ईंट–भट्ठों, निर्माण स्थलों और स्टोन क्रशरों में काम करने वाले अस्थायी मजदूरों के बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक अभिकरणों की सहायता से कार्यस्थल स्कूलों की स्थापना की गई है। किसानों और कृषि श्रमिकों के बच्चों के लिए किसान मॉडल स्कूल एक अनूठा कदम है। सैकण्डरी स्कूल स्तर पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.)

शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जा रहा है। प्रत्येक बच्चे को स्कूल शिक्षा के भाग के रूप में आई.टी. आधारित दक्षता हासिल करने का अवसर दिया जा रहा है।

36. इस वर्ष से 8वीं कक्षा के लिए बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और सभी के लिए इसकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2017 तक शत–प्रतिशत दाखिले और वर्ष 2020 तक सर्वव्यापी प्रतिधारण सुनिश्चित किया जाएगा।

37. रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में 13,000 से अधिक अध्यापकों की भर्ती की है। अध्यापकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के दृष्टिगत एक पाँच वर्षीय समेकित अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

38. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस अधिनियम के तहत अपेक्षित नियम शीघ्र ही अधिसूचित किए जाएंगे। शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण पहले से ही गठित किया जा चुका है।

39. उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, पिछले वर्ष की तुलना में विद्यार्थियों की संख्या में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूरवर्ती शिक्षा ने लोगों के घर–द्वार तक शिक्षा को ले जाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। सभी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में समैस्टर प्रणाली के क्रियान्वयन, परीक्षा प्रणाली के पुनर्गठन, पाठ्यक्रम के संशोधन, आन्तरिक मूल्यांकन प्रणाली लागू करने, 47 राजकीय महाविद्यालयों में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम लागू करने, 67 राजकीय महाविद्यालयों में अनिवार्य कम्प्यूटर शिक्षा और 25 राजकीय महाविद्यालयों में भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण सुधार उपायों के कारण उच्चतर शिक्षा के स्तर में तेजी से सुधार हो रहा है।

तकनीकी शिक्षा और निपुणता विकास

40. व्यावसायिक शिक्षा और निपुणता विकास विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। अन्तर–क्षेत्रीय सहयोग सुनिश्चित करने के लिए एक राज्यस्तरीय निपुणता विकास मिशन की स्थापना की गई है। यह मिशन राज्य के विभिन्न तकनीकी संस्थानों में चिह्नित निपुणताओं में प्रशिक्षण के लिए संसाधनों का मानचित्र तैयार कर रहा है। भारत सरकार की निपुणता विकास योजना के तहत पी.पी.पी. पद्धति के अन्तर्गत 13 आई.टी.आई. और 96 निपुणता विकास केन्द्रों की स्थापना करना प्रस्तावित है। सरकार उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की माँग के अनुरूप अनुदेशकों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए सोनीपत में एक अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

खेल

41. वर्ष 2010 हरियाणा में खेलों की दृष्टि से एक ऐतिहासिक वर्ष रहा। हमारे खिलाड़ियों ने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमण्डल खेलों और चीन में आयोजित एशियाई खेलों में ख्याति अर्जित की। देश की दो प्रतिशत से भी कम जनसंख्या वाले राज्य के लिए राष्ट्रमण्डल खेलों में राष्ट्र के लिए 52 प्रतिशत स्वर्ण पदक जीतना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 16वें एशियाई खेलों में भी अपने आश्चर्यजनक प्रदर्शन

को दोहराया और 5 स्वर्ण, 9 रजत तथा 7 कांस्य पदक हासिल किए। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है और हम उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उन्हें बधाई देते हैं। यद्यपि ऐसी असाधारण सफलता का श्रेय हरियाणा के प्रतिभावान खिलाड़ियों को जाता है, राज्य में खेल–मैत्रीपूर्ण माहौल तैयार करने में राज्य की प्रगतिशील खेल नीति और खेल अवसंरचना के बड़े पैमाने पर विस्तार का भी काफी योगदान रहा है। मेरी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए, बेची गई शराब की प्रत्येक बोतल पर 50 पैसे आवंटित करने का निर्णय लिया है।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

42. मेरी सरकार एक ऐसी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की संरचना करने, उसे मजबूती प्रदान करने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जहाँ कम लागत पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रत्येक नागरिक को मिल सकें। मरीजों को निःशुल्क दवाइयां, रैफरल परिवहन सेवाओं, निर्धारित लागत पर सर्जरी पैकेज, प्रसूति गृह स्कीम इत्यादि जैसे अनूठे उपायों के परिणामस्वरूप राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में लोगों का विश्वास बढ़ा है। वर्ष 2010 के दौरान ओ. पी.डी. मरीजों की संख्या बढ़कर 1.60 करोड़ से अधिक हो गई है, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 20.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। दिसम्बर, 2010 तक संस्थागत प्रसूतियाँ बढ़कर 74.03 प्रतिशत हो गई। सर्जरी पैकेज स्कीम के तहत, जुलाई, 2009 में इसके शुरू होने के बाद से दिसम्बर, 2010 तक एक लाख से अधिक मरीज लाभान्वित हुए हैं। इन्दिरा बाल स्वास्थ्य योजना के तहत 0–18 वर्ष के आयु वर्ग में 29 लाख से अधिक बच्चों की चिकित्सा जाँच की गई और आवश्यकतानुसार उनका उपचार किया गया। भारत सरकार के नमूना आंकड़ों 2009 के अनुसार शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) 2008 में 54 की तुलना में घटकर 51 रह गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.) वर्ष 2009–10 में 164 की तुलना में नवम्बर 2010 में घटकर 137 रह गई। कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.) भी वर्ष 2004 में 3.0 की तुलना में घटकर 2.5 रह गई है। बच्चों की सभी तरह से रोग प्रतिरक्षण की कवरेज वर्ष 2007–08 के 59.6 प्रतिशत की तुलना में अब 71.7 प्रतिशत है। राज्य भर में स्वास्थ्य सूचकों में और सुधार लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

43. नौ जिला अस्पतालों में अवसंरचना को अपग्रेड किया जा रहा है। तीन सी.एच.सी., 31 पी.एच.सी. और 130 उप–केन्द्रों के भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है और चार सी.एच.सी., 18 पी.एच.सी. तथा 60 उप–केन्द्रों के भवनों के निर्माण का कार्य अन्तिम चरण में है। तीन और सामान्य अस्पतालों में अवसंरचना को अपग्रेड किया जाना प्रस्तावित है। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आवासीय सुविधाएं सृजित करने को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

44. राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों के विस्तार से चिकित्सा क्षेत्र के लिए मानव संसाधनों की अनुपलब्धता की समस्या से निपटने का प्रयास किया जा रहा है। करनाल, मेवात में नल्हड़ और सोनीपत में खानपुर कलां में तीन नए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक की क्षमता 146 सीटों तक बढ़ाई गई है। पण्डित भगवत दयाल

शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक के तत्वावधान में पैरामैडिकल शिक्षा का एक निदेशालय स्थापित करने की प्रक्रिया अन्तिम चरणों में है। औषधियों और खाद्य वस्तुओं की बिक्री में सुरक्षा मानकों के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक नया खाद्य एवं औषध प्रशासन विभाग बनाया गया है।

पेयजल

45. मेरी सरकार अपने सभी नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2010–11 में पेयजल आपूर्ति के संवर्धन के लिए 1,007 बस्तियों की पहचान की गई है। इन्दिरा गांधी पेयजल आपूर्ति योजना के तहत अनुसूचित जातियों के 8.72 लाख परिवारों को 200 लीटर क्षमता की पानी की टंकी के साथ पानी के निःशुल्क कनैक्शन दिए गए हैं। शेष पात्र परिवारों को भी मार्च, 2013 तक लाभान्वित कर दिए जाने की सम्भावना है।

46. राजीव गांधी पेयजल संवर्धन योजना का लक्ष्य मेवात में पेयजल सुनिश्चित करना है। अब तक इस योजना के तहत ट्यूबवेल सेगमेंट के अन्तर्गत 245 गांवों और रेनीवैल सेगमेंट के अन्तर्गत 258 गांवों को कवर किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त रेनीवैल सेगमेंट के 258 गांवों में जल आपूर्ति की मात्रा बढ़ाने का कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने जिला महेन्द्रगढ़ के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सतत पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए एक प्रमुख परियोजना अनुमोदित की है।

47. पानी की गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए जिला महेन्द्रगढ़, झज्जर और कैथल के गांवों में रिवर्स ऑसमोसिस टैक्नोलॉजी पर आधारित 100 जल शोधन संयंत्र लगाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 19 शहरों में 538.96 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति तथा सीवरेज सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। वर्ष 2010 के दौरान आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के तहत 14 चिह्नित कस्बों में पेयजल आपूर्ति तथा सीवरेज का कार्य शुरू किया गया है।

पर्यावरण

48. जलवायु परिवर्तन हम सबके लिए गहरी चिन्ता का विषय है और इसके लिए ठोस तथा निरन्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार इस चुनौती के प्रति पूरी तरह सजग है और जलवायु परिवर्तन पर एक राज्य कार्य योजना तैयार करने के लिए कदम उठाए गए हैं। जन–जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य में 5000 ईको–क्लब बनाए गए हैं। सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण और प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। हरियाणा के ऐतिहासिक शहरों, धार्मिक स्थलों, वन्य प्राणी अभयारण्यों, राष्ट्रीय पार्कों और सार्वजनिक पार्कों में प्लास्टिक की वस्तुओं के प्रयोग पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है।

समाज कल्याण

49. मेरी सरकार बुजुर्गों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, विकलांगों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। राज्य में विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत विभिन्न श्रेणियों के 21 लाख से भी अधिक व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न कल्याण उपायों पर 1,557 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने की सम्भावना है।

महिला एवं बाल विकास

50. मेरी सरकार बच्चों और महिलाओं, विशेषकर स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोर बालिकाओं के समग्र विकास के प्रति गम्भीर है। आकर्षक प्री–स्कूल शिक्षा किट्स, रंगीन फर्नीचर और झूले इत्यादि उपलब्ध करवाकर आंगनवाड़ियों को और आकर्षक बनाया जा रहा है। राज्य के छः जिलों नामतः हिसार, अम्बाला, रोहतक, रेवाड़ी, कैथल और यमुनानगर में किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी किशोर बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला) शुरू की गई है। सरकार देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों और अपराधी प्रवृत्ति के किशोरों के लिए सधन बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) भी क्रियान्वित कर रही है। सरकार का महिलाओं के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। दो विशिष्ट योजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से एक तेजाब से जली महिलाओं की सर्जरी समेत चिकित्सा उपचार के लिए और दूसरी बलात्कार पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता एवं सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए है।

अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण

51. मेरी सरकार राज्य में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का सामाजिक–आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे सदन को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के तहत बी.पी.एल. अनुसूचित जाति तथा बी.पी.एल विधवाओं के लिए शगुन राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए और अन्य बी. पी.एल. परिवारों के लिए 5,100 रुपए से बढ़ाकर 11,000 रुपए कर दी गई है। विभिन्न क्षेत्रों में कोचिंग उपलब्ध करवाने के लिए और अधिक संस्थान जोड़कर, उच्चतर प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता की योजना को व्यापक आधार दिया जाना प्रस्तावित है। चालू वित्त वर्ष के दौरान दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल और राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, आदमपुर में अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत छात्रावास स्थापित किए जा रहे हैं।

श्रम

52. मेरी सरकार श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति बड़ी सचेत है। फैक्टरियों में बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पानीपत और गुड़गांव में दो प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियन्त्रण कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। गुड़गांव और फरीदाबाद में दो औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र, दोनों के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें 'कन्यादान' के तौर पर 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता, विधवाओं और उनके आश्रितों को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता, बच्चों को 12,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति और 5,000 रुपए तक का मासिक वेतन लेने वाले कामगारों को निःशुल्क साइकिल देना शामिल हैं। प्रवासी निर्माण श्रमिकों के लिए फरीदाबाद में एक 'रैन

बसेरा' (नाइट शैल्टर) का निर्माण शुरू किया गया है। इसके अलावा, गलियों में सामान बेचने वालों को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है।

उद्योग एवं वाणिज्य

53. यह एक सुखद स्थिति है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक निवेश हेतु निवेशकों की प्राथमिक पसंद बना हुआ है। वर्ष 2005 से राज्य में 53,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है, जिसमें से 9,400 करोड़ रुपए का निवेश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से हुआ है। स्वतन्त्र एजेन्सियां जैसेकि सैन्टर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इण्डियन इकॉनोमी (सी.एम.आई.ई.), एसोचैम तथा एन.सी.ए.ई.आर. ने अपनी रिपोर्टों में इन दावों की पुष्टि की है। सरकार ने हाल ही में एक संशोधित 'औद्योगिक एवं निवेश नीति 2011' घोषित की है, जिसमें प्रदेश के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया गया है। यह नीति औद्योगिक विकास को और अधिक त्वरित करेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित करेगी। कृषि के विविधिकरण के लिए पारम्परिक फसलों की बजाय सब्जियों तथा फलों की खेती को और अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के मद्देनजर नई नीति में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों (एम.एस.एम.ई.) के महत्व को समझते हुए विभिन्न औद्योगिक वर्गों के समूह विकसित करने का प्रस्ताव है, जोकि एम.एस.एम.ई. के लिए सांझा सुविधा केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे।

खान एवं भूविज्ञान

54. हरियाणा में खनिजों की कमी है। हमारा खनन कार्य मुख्यत: निर्माण सामग्री तक सीमित है। सोनीपत तथा पानीपत जिलों में रेत खनन कार्य को छोड़कर, प्रदेश के शेष हिस्सों में वर्तमान में खनन कार्य विभिन्न कानूनी अड़चनों एवं पर्यावरणीय अनापत्तियों से सम्बन्धित मुद्दों के समाधान न होने के कारण बन्द पड़े हैं। सरकार का यह प्रयास होगा कि एक दीर्घावधि खनन योजना तैयार की जाए ताकि निर्माण सामग्री की बाजार मांग की पूर्ति तथा सतत विकास के सिद्धान्तों के अनुरूप प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग के बीच संतुलन रखा जा सके। सरकार चरणबद्ध तरीके से खनन क्षेत्रों के निकट स्टोन क्रैशर सम्पदाएं विकसित करने पर विचार कर रही है, ताकि पर्यावरणीय मानदण्डों के साथ डाउन स्ट्रीम प्रोसैसिंग इण्डस्ट्री का व्यवस्थित एवं संगठित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

शहरी विकास

55. माननीय सभासदो ! जैसाकि हम सब जानते हैं कि त्वरित आर्थिक विकास से शहरीकरण की दर तेजी से बढ़ती है। मेरी सरकार योजनाबद्ध शहरी विकास की आवश्यकता से भली–भांति परिचित है। कुल 74 शहरी केन्द्रों में से 54 शहरी क्षेत्रों के लिए प्रारूप या अंतिम विकास योजनाएं प्रकाशित की जा चुकी हैं। शेष शहरों की योजनाएं विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकसित करने पर विशेष बल दिया है। 'राजीव गांधी शहरी विकास मिशन' के अन्तर्गत पांच वर्षों की अवधि में शहरों के समेकित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना निर्धारित किया गया है। सेवा प्रदायगी तन्त्र की कार्यकुशलता में सुधार करने, ढांचागत विकास को सुदृढ़ बनाने, सामुदायिक भागीदारी तथा नागरिकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है ।

56. गुड़गांव–दिल्ली के मध्य मैट्रो रेल सेवा संचालित होना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। मेरी सरकार ने दिल्ली–बदरपुर मैट्रो रेल को बाई.एम.सी.ए. चौक, फरीदाबाद तक विस्तारित करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है, हालांकि भारत सरकार के मंत्रियों के विशेषाधिकार प्राप्त समूह से इसकी औपचारिक स्वीकृति प्रतीक्षित है। बहादुरगढ़ तक मैट्रो के विस्तार की प्रक्रिया भी जारी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है। हालांकि इस सम्बन्ध में दिल्ली सरकार एवं भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति की अभी प्रतीक्षा है।

57. सुलभ आवास, विशेषकर निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लिए एक बड़ी चुनौती है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने प्राइवेट कालोनाइजर्स के 50 वर्ग मीटर आकार के 3045 प्लाट आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, हरियाणा आवास बोर्ड को हस्तांतरित किए हैं और यथासमय 4953 प्लाट बोर्ड को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने आशियाना योजना क्रियान्वित की है, जिसके अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभानुभोगियों को फ्लैट्स आबंटित किए जाएंगे, जिनकी कीमत की अदायगी आसान किस्तों में की जाएगी।

सड़कें

58. बेहतर सड़क तन्त्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गत मानसून के दौरान अप्रत्याशित भारी बारिश तथा बाढ़ के कारण सड़क तन्त्र को बड़े पैमाने पर नुकसान पंहुचा। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया है।

59. मेरी सरकार ने सड़कों के त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार की नीति के अनुरूप सार्वजनिक–निजी भागीदारी पद्धति के अन्तर्गत सड़क विकास परियोजनाओं को गति प्रदान की है। गुड़गांव–फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़–सोहना सड़क मार्ग का कार्य आरम्भ किया जा चुका है। खरक–भिवानी–दादरी–महेन्द्रगढ़– नारनौल–नांगलचौधरी–कोटपुतली सड़क को चारमार्गी बनाने का कार्य भी सार्वजनिक–निजी भागीदारी के तहत करवाया जाएगा। राज्य राजमार्ग के 'यमुनानगर–लाडवा–करनाल' भाग को भी चारमार्गी बनाने का प्रस्ताव है। 'ई–निविदा प्रणाली' आरम्भ होने से निविदा प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी एवं प्रयोक्ता अनुकूल बनी है। इस प्रणाली से त्रुटियां, विलम्ब तथा संचार की बाधाएं दूर हुई हैं।

परिवहन

60. मेरी सरकार ने परिवहन बेड़े का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण करके और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के विस्तार के लिए निजी क्षेत्र को भागीदार बनाकर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को दक्ष बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हरियाणा परिवहन का अपने बेड़े में बसों की संख्या बढ़ा कर 4000 तक करने का प्रस्ताव है। परिवहन नीति, 2010 से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में और अधिक सुधार आएगा।

61. परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को चुस्त–दुरूस्त बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। सभी बड़े बस अड्डों पर बसों के आगमन एवं प्रस्थान के सम्भावित समय के सम्बन्ध में यात्रियों को समय पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए वाहनों में जी.पी.एस. आधारित

व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम आरम्भ किया गया है। प्रमुख बस अड्डों पर इलैक्ट्रानिक टिकटिंग मशीनें लगाने का भी प्रस्ताव है। विभाग की कार्यप्रणाली की बेहतर ढंग से मॉनिटरिंग के लिए स्मार्ट कार्ड आधारित वाहन पंजीकरण तथा लाइसैंसिंग प्रणाली आरम्भ की जा रही है। वाहनों के लिए एक केन्द्र प्रायोजित पूर्णतः स्वचालित तथा कम्प्यूटरीकृत निरीक्षण एवं जांच केन्द्र भी स्थापित किया जा रहा है। तीन चालक प्रशिक्षण स्कूल भी स्थापित किए जा रहे हैं। वर्ष 2007–08 में न्यूनतम दुर्घटना दर के लिए हरियाणा परिवहन को 'परिवहन मंत्री शील्ड' प्राप्त हुई है।

खाद्य एवं आपूर्ति

62. हरियाणा ने केन्द्रीय पूल के लिए रबी, 2010 में 63.47 लाख मीट्रिक टन गेहूं तथा खरीफ, 2010 में 24.40 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने तथा गरीबों को अधिकाधिक लाभ पंहुचाने के उद्देश्य से मौजूदा राशन कार्डों के स्थान पर स्मार्ट कार्ड आरम्भ किए जा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बेहतर निगरानी के लिए चौकसी समितियां गठित की गई हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई–शासन

63. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के वर्तमान आधार का विस्तार करना, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा शासन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना, मेरी सरकार की प्राथमिकता है। औद्योगिक एवं निवेश नीति 2011 में इस सम्बन्ध में किए जाने वाले उपायों का उल्लेख है। स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क के माध्यम से समुचित आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।

64. मेरी सरकार ने भारत सरकार की यू.आई.डी. परियोजना को हरियाणा में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। राज्य के निवासियों का डेटाबेस सृजित करने का प्रस्ताव है, जिसे सरकार के विभिन्न लाभ प्रबंधन कार्यक्रमों के तहत नागरिक सेवाओं की प्रदायगी के साथ समेकित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कई अग्रणी परियोजनाओं यानतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, वाणिज्यिक कर नियमन, समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को चिन्हित किया गया है तथा इन्हें इस परियोजना में क्रियान्वित किया जा रहा है ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

65. विद्यार्थियों को विशुद्ध विज्ञान विषय पढ़ने के लिए प्रेरित करने तथा वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने छात्रवृत्ति एवं शोधवृत्ति प्रदान करने की एक विशेष स्कीम आरम्भ की है। स्कूल स्तर पर विज्ञान के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 'हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज स्कीम' आरम्भ की गई है। युवाओं में वैज्ञानिक स्वभाव बढ़ाना सरकार के लिए एक अन्य महत्त्व का विषय है। दो उत्कृष्टता केन्द्र, नामतः सैंटर फॉर प्लांट बायोटैक्नोलोजी, हिसार में 'डी.एन.ए. टैस्टिंग तथा निदान सुविधा' और दीनबन्धु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल में 'अक्षय ऊर्जा जांच केन्द्र' स्थापित किए जा रहे हैं।

कराधान

66. मेरी सरकार राज्य में व्यापार अनुकूल कर ढांचा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। केन्द्रीय पुलिस बलों की कैन्टीनों द्वारा केन्द्रीय पुलिस बलों के सेवारत तथा भूतपूर्व कार्मिकों को बेची जाने वाली सभी वस्तुओं को वैट से छूट दी गई है। इसी प्रकार, खादी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हाथ से बुने कम्बलों तथा खेसों, पोली खादी फैब्रिक, खादी के कपड़ों तथा सूती दरियों को वैट की अदायगी से छूट दी गई है। नगरपालिकाओं के शुष्क ठोस कचरे से निर्मित ईंधन को भी वैट से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण अनुकूल ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सी.एन.जी. तथा पी.एन.जी. जैसे ईंधनों पर भी वैट की दर 12.5 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत की गई है। कम्प्यूटरों के प्रयोग के माध्यम से कर प्रशासन की विभिन्न प्रक्रियाओं को चुस्त–दुरूस्त एवं सरल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कर्मचारी कल्याण

67. हमारे कर्मचारी हमारी प्रगति में सच्चे भागीदार हैं। मेरी सरकार उनके कल्याण की आवश्यकताओं के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील है। उनकी न्यायसंगत मांगों और मुद्दों पर हमेशा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। हरियाणा कुछ ऐसे राज्यों में से एक है, जिन्होंने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप कर्मचारियों को पूरे बकाया की अदायगी करने की घोषणा की है। मेरी सरकार का यू.आई.डी.ए.आई. की आधार स्कीम के अन्तर्गत सभी कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों का पंजीकरण करने का प्रस्ताव है। इससे वे विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिए जाने वाले लाभों एवं रियायतों को और अधिक सुगम तरीके से प्राप्त कर सकेंगे।

कानून एवं व्यवस्था

68. राज्य में अपराध की स्थिति पूरी तरह नियन्त्रण में रही। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक आधुनिक पुलिस बल का होना आवश्यक है। सरकार अपने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए अनेक कदम उठा रही है। हरियाणा देश के कुछ ऐसे राज्यों में से एक है, जहां पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय योजना के तहत प्राप्त निधि का पूर्णत: उपयोग किया गया है। मेरी सरकार ने गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, करनाल तथा पंचकूला शहरों में निगरानी प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। इस प्रणाली में सी.सी.टी.वी. कैमरों के माध्यम से यातायात इत्यादि पर प्रभावी तरीके से नज़र रखी जा सकेगी ।

69. माननीय सभासदो ! हरियाणा देश में तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह अपनी दूरदर्शी बृहत–स्तरीय आर्थिक नीतियों तथा व्यापारिक गतिविधियों में और अधिक सुधार के प्रति वचनबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। निवेशकों का राज्य की अर्थव्यवस्था, इसकी राजनैतिक स्थिरता तथा दूरदर्शी नेतृत्व में पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि आपकी परिचर्चा रचनात्मक होगी और राज्य के विकास तथा लोगों के कल्याण में और अधिक योगदान देगी ।

मैं इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।

जय हिन्द!

शोक प्रस्ताव

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, now, the Chief Minister will make obituary references.

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : स्पीकर सर, पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान हमारे बीच में से बहुत सारी विभूतियां, जिनमें राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, देश भक्त, समाज सेवी, बड़े-बड़े महानुभाव और हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक शामिल हैं, वे हमें छोड़कर चले गये हैं। वे जिस रिक्ति को छोड़कर गये हैं उसकी क्षतिपूर्ति असंभव है । उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं सदन की ओर से यह शोक-प्रस्ताव सदन के पटल पर रखता हूं :-

श्री महावीर प्रसाद, हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल श्री महावीर प्रसाद के 28 नवम्बर, 2010 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 11 नवम्बर, 1939 को जिला गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में हुआ। वह पहली बार सन् 1974 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गये। इसके बाद वह सन् 1980, 1984, 1989 तथा 2004 में लोक सभा के सदस्य चुने गए। वह सन् 1988 से 1989 तक केन्द्रीय उप–मंत्री तथा सन् 1989 में ही केन्द्रीय राज्य मंत्री भी रहे। उसके बाद वह सन् 2004 में केन्द्रीय मंत्री बने। उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान रेलवे, लघु उद्योग, खान एवं इस्पात तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय सम्भालने का गौरव प्राप्त हुआ। वे सन् 1995 से 2000 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। उन्होंने 18 सितम्बर, 1995 से 16 नवम्बर, 1995 तथा 23 अप्रैल 1996 से 26 जुलाई 1997 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का भी अतिरिक्त रूप से कार्यभार सम्भाला। उन्होंने जीवन पर्यन्त समाज के पिछड़े और कमज़ोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ, प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सरदार हरपाल सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री सरदार हरपाल सिंह के 24 फरवरी, 2011 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 1 अक्तूबर, 1929 को पाकिस्तान के जिला मिंटगुमरी में हुआ। वह पांच बार सन् 1967, 1968, 1972, 1982 तथा 1991 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह सन् 1984 में लोक सभा के सदस्य भी चुने गए। वह सन् 1967, 1970–1977, 1982–1984 तथा 1991–1996 के दौरान हरियाणा मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। वे दो बार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने प्रदेश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए। वह एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो किसानों, समाज के कमज़ोर व गरीब वर्गों के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे और उनकी भलाई के लिए जीवन पर्यन्त कार्य किया। मुझे भी उनके साथ कार्य करने का मौका मिला।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

पद्मश्री सेठ श्रीकिशन दास, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री पद्मश्री सेठ श्रीकिशन दास के 24 नवम्बर, 2010 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 25 अगस्त, 1926 को रोहतक में हुआ। वह तीन बार सन् 1972, 1985 तथा 1996 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह सन् 1986 से 1987 तथा सन् 1996 से 1999 तक मंत्री रहे। उन्होंने जनसाधारण के लिए वृंदावन (उत्तर प्रदेश) में 'श्रीकृष्ण निवास' तथा हरिद्वार में 'रामकली सदन' की स्थापना करवाई। उन्हें सन् 1976 में पद्मश्री की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। वह एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्त्ता थे, जो समाज के कमज़ोर व गरीब वर्गों के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे और उनकी भलाई के लिए जीवन पर्यन्त कार्य किया।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री सतबीर सिंह मलिक, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री सतबीर सिंह मलिक के 12 जनवरी, 2011 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 मई, 1939 को गांव सींख जिला पानीपत में हुआ। वह सन् 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये तथा सन् 1977–78 के दौरान मंत्री भी रहे। वह एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्त्ता थे, जो समाज के कमज़ोर व गरीब वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे।

उनके निधन से राज्य एक विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री लाल सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री लाल सिंह के 11 अक्तूबर, 2010 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 10 अप्रैल, 1925 को गांव काठगढ़ जिला अम्बाला में हुआ। वह चार बार सन् 1967, 1968, 1977 तथा 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 6 अप्रैल 1978 से 10 मई 1978 तक संसदीय सचिव रहे। वह सन् 1979 से 1982 तक उप–मंत्री तथा सन् 1982 से 1986 तक राज्य मंत्री भी रहे। वह एक महान् स्वतन्त्रता सेनानी भी थे। उन्होंने

स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल भी गए। वह एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्त्ता थे, जो समाज के कमज़ोर व गरीब वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे तथा उनके उत्थान के लिए अथक प्रयास किए।

उनके निधन से देश एक महान् स्वतन्त्रता सेनानी, अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री भागमल, हरियाणा के भूतपूर्व संसदीय सचिव

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व संसदीय सचिव श्री भागमल के 13 जनवरी, 2011 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 मार्च, 1927 को गांव मरवा कलां, जिला अम्बाला में हुआ। वह तीन बार सन् 1977, 1982 तथा 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 6 अप्रैल, 1978 से 10 मई, 1978 तक संसदीय सचिव रहे। उन्होंने आजीवन समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अमीर चन्द ककक्ड़, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अमीर चन्द ककक्ड़ के 13 जनवरी, 2011 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म सन् 1921 को पाकिस्तान के जिला मुलतान में हुआ। वह दो बार सन् 1969 तथा 1972 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने जीवन पर्यन्त समाज के गरीब वर्ग के लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य किया।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

उपाध्यक्ष महोदय, एक–एक करके स्वतंत्रता सेनानी हमें छोड़ कर जा रहे हैं। यह सदन उन श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :–

1. श्री फतेह सिंह, गांव धिमाणा, जिला जीन्द।
2. श्री दलीप सिंह, गांव दड़ौली, जिला रेवाड़ी।
3. श्री बलदेव सिंह, गांव लिजवाना खुर्द, जिला जीन्द।
4. श्री कर्म सिंह, गांव ट्यूकर, जिला कुरुक्षेत्र।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

5. श्री प्रीतम सिंह, गांव पीडल, जिला कैथल।
6. श्री मनभर यादव, गांव सेहलंग, जिला महेन्द्रगढ़।
7. श्री श्योचन्द, गांव गुरेरा, जिला भिवानी।
8. श्री अमर सिंह, गांव लुखी (नाहड़), जिला रेवाड़ी।
9. श्री इंद्र सिंह, गांव रधाना, जिला जीन्द।
10. श्री पर्वत सिंह, गांव गुमाणा, जिला सोनीपत।
11. श्री रामकिशन, रोहतक।
12. श्री मोलड़ राम, गांव रामगढ़ (खेड़ी), जिला रेवाड़ी।
13. श्री रामजी लाल आज़ाद, गांव लुखी, जिला रेवाड़ी।
14. श्री श्याम सिंह, गांव बलाही, जिला कुरूक्षेत्र।
15. श्री बंता सिंह, गांव कौलापुर, जिला कुरूक्षेत्र।
16. श्री प्रभु दयाल, गांव पालड़ी, जिला भिवानी।
17. श्री दरिया सिंह, गांव कासनी, जिला भिवानी।
18. श्री तिलकू राम, गांव माईकलां, जिला भिवानी।
19. श्री कन्हैया लाल, फरीदाबाद।
20. श्री कुडिया सिंह, गांव भौंड़सी, जिला गुड़गांव।
21. श्री हरि सिंह, पानीपत।
22. श्री झंडू राम, गांव कटेसरा, जिला रोहतक।
23. श्री सुमरता राम, गांव लाला खेड़ली, जिला गुडगांव।
24. श्री हेतराम, गांव महरमपुर, जिला महेन्द्रगढ़।
25. श्री बख्तावर सिंह, गांव गोधड़ी, जिला झज्जर।
26. श्री भीम सेन, फरीदाबाद।
27. श्री मान सिंह, गांव खानपुर खुर्द, जिला सोनीपत।
28. श्री धर्म चन्द, गांव लुखी (नाहड़), जिला रेवाड़ी।
29. श्री कन्हैया राम, गांव खंडौडा, जिला रेवाड़ी।
30. श्री हिम्मत सिंह, गांव भारीवास, जिला भिवानी।
31. श्री रण सिंह, गांव कुलताना, जिला रोहतक।
32. श्री राम किशन, नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़।

यह सदन इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

यह सदन उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता एवं अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस तथा अदभुत शौर्य का परिचय देते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान् वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. फ्लाईट लेफ्टिनैंट आकाश यादव, गांव कोसली, जिला रेवाड़ी।
2. सूबेदार कर्ण सिंह, गांव जलालपुर, जिला पानीपत।

3. सूबेदार रमेश कुमार, गांव गोयला कलां, जिला झज्जर।
4. उप–निरीक्षक शमशाल, गांव सीपर, जिला भिवानी।
5. हवलदार सुरेन्द्रपाल, गांव सराय–सुरानी, जिला महेन्द्रगढ़।
6. हवलदार रामनिवास यादव, गांव गोंद, जिला महेन्द्रगढ़।
7. हवलदार दीवान सिंह, गांव बुड़ौली, जिला रेवाड़ी।
8. हवलदार बीर सिंह, गांव बिहाली, जिला महेन्द्रगढ़।
9. हवलदार चन्द्रभान, गांव इमलोटा, जिला भिवानी।
10. हवलदार रामकिशन, गांव अहरी, जिला झज्जर।
11. नायक रामकुमार, गांव बवाना, जिला महेन्द्रगढ़।
12. लान्स नायक करमैल सिंह, गांव कासमपुर, जिला कतेहाबाद।
13. सिपाही जयपाल, गांव ताहरपुर, जिला यमुनानगर।
14. सिपाही दिनेश कुमार, गांव रुड़की, जिला रोहतक।
15. सिपाही गुरमेल सिंह, गांव खरिंडवा, जिला कुरूक्षेत्र।
16. सिपाही रामनिवास, गांव श्यामनगर, जिला रेवाड़ी।
17. सिपाही कुलदीप सिंह, गांव बलवाड़ी, जिला रेवाड़ी।
18. सिपाही हरिओम, गांव भालौठ, जिला रोहतक।

यह सदन इन महान् वीरों की शहादत पर उन्हें शत्–शत् नमन करता है और इनके शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन हरियाणा के सांसद श्री अवतार सिंह भड़ाना की माता **श्रीमती रामफली देवी;** वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के छोटे भाई की धर्मपत्नी **श्रीमती सुनीता देवी;** कृषि मंत्री श्री परमवीर सिंह के भतीजे **श्री फतेहपाल सिंह;** मुख्य संसदीय सचिव राव दान सिंह की भाभी **श्रीमती शांति देवी;** मुख्य संसदीय सचिव श्री प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा की ताई **श्रीमती परमेश्वरी देवी;** विधायक श्री आफताब अहमद की माता **श्रीमती फिरदौस बेगम;** विधायक श्री सुभाष चौधरी की माता **श्रीमती प्रेमवती;** पूर्व मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के भाई **श्री अरविंद शर्मा;** पूर्व मंत्री श्रीमती प्रसन्नी देवी के पति **श्री धर्म सिंह;** पूर्व मंत्री श्री निर्मल सिंह की बहन **श्रीमती राज रानी;** पूर्व मंत्री श्रीमती कृष्णा गहलावत के ससुर **सूबेदार रिसाल सिंह;** पूर्व मंत्री श्री भीम सेन मेहता की सुपुत्री **श्रीमती किरण;** पूर्व मंत्री श्री श्यामदास मुखीजा के भाई **श्री राम दास मुखीजा;** पूर्व मंत्री श्री जगदीश नेहरा के भांजे **श्री राय सिंह** तथा भाभी **श्रीमती सावित्री देवी; तथा** पूर्व विधायक श्री अर्जुन सिंह के भाई **श्री रमेश कुमार** के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला (उचाना कलां) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन और इस अधिवेशन के बीच में कई महान विभूतियां हमें छोड़कर चली गई हैं, जिनमें कई राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, शहीद परिवार से जुड़े हुए लोग और इस सदन के सम्मानित सदस्यों के परिवारों के सदस्यगण शामिल हैं। श्री महावीर प्रसाद जो हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं, वे भी इनमें

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

शामिल हैं । उनका जन्म 11 नवंबर, 1939 को जिला गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में हुआ। वे पार्लियामैंट के मैंबर और केन्द्र में मिनिस्टर रहे । 5 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने इस प्रदेश के लोगों की अद्भुत सेवाएं की हैं । मुझे भी सौभाग्य से उनके साथ काम करने का अवसर मिला । वे एक बहुत ही योग्य, अनुभवी, विद्वान राजनीतिज्ञ और प्रखर राजनेता के तौर पर बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार से सरदार हरपाल सिंह जी का भी 24 फरवरी, 2011 को दुखद निधन हो गया है । वे कई मर्तबा इस सदन के सदस्य रहे, मुझे भी उनके साथ सदस्य के तौर पर काम करने का अवसर मिला। कई मर्तबा उन्होंने प्रदेश की सेवा की। वे कांग्रेस पार्टी के दो दफा अध्यक्ष भी रहे। उनकी लोकप्रियता का ही परिणाम है कि उनके सुपुत्र इस सदन के सदस्य और मंत्री के रूप में उपस्थित हैं। मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार सेठ श्री किशन दास का भी 24 नवंबर, 2010 को निधन हो गया है । वे एक नेक इंसान और अच्छे व्यापारी थे। वे अच्छे राजनेता और एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार से श्री सतबीर सिंह मलिक का 12 जनवरी, 2011 को दु:खद निधन हो गया है । वे हरियाणा के मंत्री भी रहे। वर्ष 1975 से 1977 तक मुझे भी उनके साथ एमरजैंसी के दौरान जेल में इकट्ठे रहने का अवसर मिला था। वे एक अच्छे राजनेता थे। वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार से श्री लाल सिंह हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री का भी 11 अक्तूबर, 2010 को दु:खद निधन हो गया है। छोटे और गरीब परिवार में पैदा होकर भी उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की। वे हरियाणा विधान सभा के दो मर्तबा सदस्य रहे और मंत्री भी रहे। वे लोगों से और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उनकी लोकप्रियता का ही परिणाम हैं कि आज उनका दामाद और पुत्र यहां विधायक के रूप में विराजमान हैं। मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार से श्री भागमल, हरियाणा के भूतपूर्व संसदीय सचिव का 13 जनवरी, 2011 को दु:खद निधन हो गया है । बतौर एम.एल.ए. मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला । मैं अपनी तरफ से व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार से श्री अमीर चंद कक्कड़ जो कि हरियाणा विधान सभा के दो मर्तबा सदस्य भी रहे, उनके साथ भी मुझे बतौर विधायक काम करने का मौका मिला । वे एक अच्छे व्यक्ति तथा अनुभवी विधायक थे । वे एक कुशल प्रशासक भी थे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम इस स्वतंत्र भारत में सुख की सांस ले रहे हैं वे आज हमारे बीच से आहिस्ता-आहिस्ता करके इस देश को छोड़कर जा रहे हैं । इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम निम्न हैं :- श्री फतेह सिंह, गांव घिमाणा, जिला जीन्द , श्री दलीप सिंह, गांव दड़ौली, जिला रेवाड़ी, श्री बलदेव सिंह, गांव लिजवाना खुर्द, जिला जीन्द, श्री कर्म सिंह, गांव ट्यूकर, जिला कुरुक्षेत्र, श्री प्रीतम सिंह, गांव पीडल, जिला कैथल, श्री मनभर यादव, गांव सेहलंग, जिला महेन्द्रगढ़, श्री श्योचंद, गांव गुरेरा, जिला भिवानी, श्री अमर सिंह, गांव लुखी (नाहड़), जिला रेवाड़ी, श्री इन्द्र सिंह, गांव रधाना, जिला जीन्द, श्री पर्वत सिंह, गांव गुमाणा, जिला सोनीपत, श्री रामकिशन, रोहतक, श्री मोलड़ राम, गांव रामगढ़ (खेड़ी),जिला रेवाड़ी, श्री रामजी लाल आजाद, गांव लुखी जिला रेवाड़ी, श्री श्याम सिंह, गांव बलाही, जिला कुरुक्षेत्र, श्री बंता सिंह, गांव कौलापुर, जिला कुरुक्षेत्र, श्री प्रभु दयाल, गांव पालड़ी, जिला भिवानी, श्री दरिया सिंह, गांव कासनी, जिला भिवानी, श्री तिलकू राम, गांव माइकलां, जिला भिवानी, श्री कन्हैया लाल, फरीदाबाद, श्री कुडिया सिंह, गांव भौंडसी, श्री हरी सिंह, पानीपत, श्री झंडू राम, गांव कटेसरा, जिला रोहतक, श्री सुमरता राम, गांव लाला खेड़ली, जिला गुड़गांव , श्री हेतराम, गांव मरहमपुर, जिला महेन्द्रगढ़, श्री बख्तावर सिंह, गांव गोधड़ी, जिला झज्जर, श्री भीम सेन, फरीदाबाद, श्री मान सिंह, गांव खानपुर खुर्द, जिला सोनीपत, श्री धर्मचंद गांव लुखी (नाहड़) जिला रेवाड़ी, श्री कन्हैया राम, गांव खडौडा, जिला रेवाड़ी, श्री हिम्मत सिंह, गांव भारीवास, जिला भिवानी, श्री रणसिंह, गांव कुलताना, जिला रोहतक और श्री राम किशन, नारनौल जिला महेन्द्रगढ़। मैं इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करता हूं और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक संवदेना प्रकट करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, वे शहीद जो आज हमारे देश को छोड़कर चले गये और इस संसार को छोड़कर चले गये हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं : फ्लाइट लैफिट्नैंट आकाश यादव, गांव कौसली, जिला रेवाड़ी, सूबेदार कर्ण सिंह, गांव जलालपुर, जिला पानीपत, सूबेदार रमेश कुमार, गांव गोयला कला, जिला झज्जर, उप निरीक्षक राम पाल, गांव सीपर जिला भिवानी , हवलदार सुरेन्द्र पाल, गांव सराय सुरानी, जिला महेन्द्रगढ़, हवलदार राम निवास यादव, गांव गोद, जिला महेन्द्रगढ़, हवलदार दीवान सिंह, गांव बूड़ौली, जिला रेवाड़ी, हवलदार बीर सिंह, गांव बिहाली, जिला महेन्द्रगढ़, हवलदार चंद्र भान, गांव इमलोटा जिला भिवानी, हवलदार राम किशन, गांव अहरी, जिला झज्जर, नायक राम कुमार, गांव बवाना, जिला महेन्द्रगढ़, लांस नायक करनेल सिंह, गांव कासमपुर, जिला फतेहाबाद, सिपाही जय पाल, गांव ताहरपुर, जिला यमुनानगर, सिपाही दिनेश कुमार, गांव रुड़की, जिला रोहतक, सिपाही गुरमेल सिंह, गांव खरिंडवा, जिला कुरुक्षेत्र, सिपाही राम निवास, गांव श्यामनगर जिला रेवाड़ी, सिपाही कुलदीप सिंह, गांव बलवाड़ी, जिला रेवाड़ी और

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

सिपाही हरिओम गांव भालोठ, जिला रोहतक। मैं इन महान वीरों की शहादत पर उन्हें शत शत नमन करता हूं और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक संवदेना प्रकट करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के सांसद श्री अवतार सिंह भड़ाना की माता श्रीमती रामफली देवी, वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के छोटे भाई की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता देवी, कृषि मंत्री श्री परमवीर सिंह के भतीजे श्री फ़तेहपाल सिंह, मुख्य संसदीय सचिव राव दान सिंह की भाभी श्रीमती शांति देवी, मुख्य संसदीय सचिव श्री प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा की ताई श्रीमती परमेश्वरी देवी, विधायक श्री आफताब अहमद की माता श्रीमती फिरदौस बेगम, विधायक श्री सुभाष चौधरी की माता श्रीमती प्रेमवती, पूर्व मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के भाई श्री अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री श्रीमती प्रसन्नी देवी के पति श्री धर्म सिंह, पूर्व मंत्री श्री निर्मल सिंह की बहन श्रीमती राज रानी, पूर्व मंत्री श्रीमती कृष्णा गहलावत के ससुर सूबेदार रिसाल सिंह, पूर्व मंत्री श्री भीम सेन मेहता की सुपुत्री श्रीमती किरण, पूर्व मंत्री श्री श्यामदास मुखीजा के भाई श्री राम दास मुखीजा, पूर्व मंत्री श्री जगदीश नेहरा के भांजे श्री राव सिंह तथा भाभी श्रीमती सावित्री देवी तथा पूर्व विधायक श्री अर्जुन सिंह के भाई श्री रमेश कुमार के दुःखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता हूं।

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी) : डिप्टी स्पीकर सर, पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में जो महान विभूतियां जिन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए और जो इस संसार को छोड़कर चले गये उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यह शोक प्रस्ताव रखा गया है । इन महान विभूतियों में हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल श्री महावीर प्रसाद, सरदार हरपाल सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री, पद्मश्री सेठ श्रीकिशन दास, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री, श्री सतबीर सिंह मलिक, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री, श्री लाल सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री, श्री भागमल, हरियाणा के भूतपूर्व संसदीय सचिव, श्री अमीर चन्द कक्कड़, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य शामिल हैं ।

6.00 बजे

मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से उन श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया । इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं-श्री फतेह सिंह, गांव घिमाणा, जिला जीन्द, श्री दलीप सिंह, गांव दड़ौली, जिला रेवाड़ी, श्री बलदेव सिंह, गांव लिजवाना खुर्द, जिला जीन्द, श्री कर्म सिंह, गांव ट्यूकर, जिला कुरुक्षेत्र, श्री प्रीतम सिंह, गांव पीडल, जिला कैथल, श्री मनभर यादव, गांव सेहलंग, जिला महेन्द्रगढ़, श्री श्योचंद, गांव गुरेरा, जिला भिवानी, श्री अमर सिंह, गांव लुखी (नाहड़), जिला रेवाड़ी, श्री इन्द्र सिंह, गांव रघाना, जिला जीन्द, श्री पर्वत सिंह, गांव गुमाणा, जिला सोनीपत, श्री रामकिशन, रोहतक, श्री मोलड़ राम, गांव रामगढ़ (खेड़ी), जिला रेवाड़ी, श्री रामजी लाल आजाद, गांव लुखी, जिला रेवाड़ी, श्री श्याम सिंह, गांव बलाही, जिला कुरुक्षेत्र, श्री

बंता सिंह, गांव कौलापुर, जिला कुरुक्षेत्र, श्री प्रभु दयाल, गांव पालड़ी, जिला भिवानी, श्री दरिया सिंह, गांव कासनी, जिला भिवानी, श्री तिलकू राम, गांव माइकलां, जिला भिवानी, श्री कन्हैया लाल, फरीदाबाद, श्री कुडिया सिंह, गांव मौंडसी, श्री हरी सिंह, पानीपत, श्री झंडू राम, गांव कटेसरा, जिला रोहतक, श्री सुमरता राम, गांव लाला खेड़ली, जिला गुड़गांव, श्री हेतराम, गांव मरहमपुर, जिला महेन्द्रगढ़, श्री बख्तावर सिंह, गांव गोधड़ी, जिला झज्जर, श्री भीम सेन, फरीदाबाद, श्री मान सिंह, गांव खानपुर खुर्द, जिला सोनीपत, श्री धर्मचंद गांव लुखी (नाहड़) जिला रेवाड़ी, श्री कन्हैया राम, गांव खडौड़ा, जिला रेवाड़ी, श्री हिम्मत सिंह, गांव भारीवास, जिला भिवानी, श्री रणसिंह, गांव कुलताना, जिला रोहतक, श्री राम किशन, नारनौल जिला महेन्द्रगढ़। मैं इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करता हूं और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक संवदेना प्रकट करता हूं ।

मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की एकता एवं अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस तथा अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया । इन महान वीर सैनिकों के नाम हैं- फ्लाइट लैफिट्नैंट आकाश यादव, गांव कौसली, जिला रेवाड़ी, सूबेदार कर्ण सिंह, गांव जलालपुर, जिला पानीपत, सूबेदार रमेश कुमार, गांव गोयला कला, जिला झज्जर, उप निरीक्षक राम पाल, गांव सीपर जिला भिवानी, हवलदार सुरेन्द्र पाल, गांव सराय सुरानी, जिला महेन्द्रगढ़, हवलदार राम निवास यादव, गांव गोद, जिला महेन्द्रगढ़, हवलदार दीवान सिंह, गांव बुड़ौली, जिला रेवाड़ी, हवलदार बीर सिंह, गांव बिहाली, जिला महेन्द्रगढ़, हवलदार चंद्र भान, गांव इमलोटा जिला भिवानी, हवलदार राम किशन, गांव अहरी, जिला झज्जर, नायक राम कुमार, गांव बवाना, जिला महेन्द्रगढ़, लांस नायक करनेल सिंह, गांव कासमपुर, जिला फतेहाबाद, सिपाही जय पाल, गांव ताहरपुर, जिला यमुनानगर, सिपाही दिनेश कुमार, गांव रुड़की, जिला रोहतक, सिपाही गुरमेल सिंह, गांव खरिंडवा, जिला कुरुक्षेत्र, सिपाही राम निवास, गांव श्यामनगर जिला रेवाड़ी, सिपाही कुलदीप सिंह, गांव बलवाड़ी, जिला रेवाड़ी, सिपाही हरिओम गांव भालोठ, जिला रोहतक। मैं इन महान वीरों की शहादत पर उन्हें शत शत नमन करता हूं और इनके शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से हार्दिक संवदेना प्रकट करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के सांसद श्री अवतार सिंह भड़ाना की माता श्रीमती रामफली देवी, वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के छोटे भाई की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता देवी, कृषि मंत्री श्री परमवीर सिंह के भतीजे श्री फतेहपाल सिंह, मुख्य संसदीय सचिव राव दान सिंह की भाभी श्रीमती शांति देवी, मुख्य संसदीय सचिव श्री प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा की ताई श्रीमती परमेश्वरी देवी, विधायक श्री आफताब अहमद की माता श्रीमती फिरदौस बेगम, विधायक श्री सुभाष चौधरी की माता श्रीमती प्रेमवती, पूर्व मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के भाई श्री अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री श्रीमती प्रसन्नी देवी के पति श्री धर्म सिंह, पूर्व मंत्री श्री निर्मल सिंह की बहन श्रीमती राज रानी, पूर्व मंत्री श्रीमती कृष्णा गहलावत के ससुर सूबेदार रिसाल सिंह, पूर्व मंत्री श्री भीम सेन मेहता की सुपुत्री श्रीमती किरण, पूर्व मंत्री श्री श्यामदास मुखीजा के भाई श्री राम दास मुखीजा, पूर्व मंत्री श्री जगदीश नेहरा के भांजे श्री राय सिंह तथा भाभी

[श्री अनिल विज]

श्रीमती सावित्री देवी तथा पूर्व विधायक श्री अर्जुन सिंह के भाई श्री रमेश कुमार के दुःखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता हूं और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवदेना प्रकट करता हूं।

श्री रामपाल माजरा : सर, मैं लीडर ऑफ दी हाउस से दो-तीन नाम दर्ज करने की अर्ज करूंगा कि उनको भी शोक प्रस्ताव में शामिल किया जाये । गोरखपुर के किसान श्री बामूराम भूमि अधिग्रहण की पीड़ा नहीं झेल सका । उसकी पाले की वजह से मौत हो गई । इसी तरह से लाडवा के एक नौजवान सुनील श्योराण को जाट आरक्षण के दौरान पुलिस की गोली लगी । इसी प्रकार से खेड़ीसाध का मनोज भूमि अधिग्रहण के लिए धरने पर बैठा था उसे भी गोलियों से भून दिया गया । इसी प्रकार से पंजोखरा में किसान जसमेर सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह, बख्शीश पुत्र मेघा सिंह (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इनके नाम भी शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिये जायें ।

Mr. Deputy Speaker : No, No. माजरा जी, आप बैठें ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, ये ऐसे व्यक्तियों का नाम ले रहे हैं जो आपस में गोली चलाकर मरे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : सर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि श्री जोगीराम पुत्र स्वर्गीय श्री मांगे राम, पूर्व विधायक जो इस सदन के भी सदस्य रहे उनका 8 सितम्बर, 2010 को देहांत हो गया उनका नाम भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाये । वे पानीपत के रहने वाले थे । इस बारे में मुझे एक माननीय सदस्य ने बताया है । अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य यह है कि हमारे काबिल साथी शोक प्रस्ताव पर भी राजनीति करने से नहीं मानते । कभी उनके नेता और कभी ये शोक प्रस्ताव पर भी राजनीति करते हैं । हमें इस महान सदन में कम से कम एक मर्यादा तो रखनी चाहिए । जब हम उन सब दिवंगत आत्माओं को जो हमें छोड़कर चली गई हैं श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े होते हैं तो कम से कम प्रांत में ऐसे मौके पर राजनीति न करें ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है ।

ओम प्रकाश चौटाला : जिस समय आप लोग इस सदन में विपक्ष में बैठा करते थे उस समय कण्डेला कांड को लेकर के आप बहुत शोर मचाते थे कि उन लोगों का नाम शोक प्रस्ताव में शामिल किया जाये । ये भी वो किसान मरे हैं जिनकी भूमि अधिग्रहण की गई है । कोड़ियों के भाव किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई है। (शोर एवं व्यवधान) करोड़ों रुपये कमाये हैं ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उस समय किसानों को गोलियों से भूना गया था ।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उस समय इनके नेता की निर्दयता की वजह से किसानों को गोलियों से भूना गया था । (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Deputy Speaker: Hon'ble Members, I associate myself with the Obituary References made by the Hon'ble Chief Minister and the feelings expressed by other Members of the House. During the last Session and the present Session, many renowned personalities have passed away.

I feel deeply grieved on the sad demise of Shri Mahabir Prasad, Former Governor of Haryana, Sardar Harpal Singh, Former Minister of Haryana, Padamshree Seth Sirikishan Dass, Former Minister of Haryana, Shri Satbir Singh Malik, Former Minister of Haryana, Shri Lal Singh, Former Minister of State, Haryana, Shri Bhagmal, Former Parliamentary Secretary of Haryana, Shri Amir Chand Kakkar, Former Member of Haryana Legislative Assembly; all the freedom fighters, Martyrs of Haryana and relatives of Members of Parliament, Ministers, Chief Parliamentary Secretaries, MLAs and Ex-Ministers and EX-MLAs of Haryana, whose names have been mentioned by the Hon'ble Chief Minister.

Shri Mahabir Prasad was elected to Lok Sabha for four times. He served the Central Government as Deputy Minister, Minister of State and Minister also, holding important portfolios such as Railways, Small Scale Industries, Mines and Steel etc. etc. He remained Governor of Haryana for five years. He also remained Governor of Himachal Pradesh for more than a year. He was a great Parliamentarian, Statesman and Administrator.

Sardar Harpal Singh was elected to this august House for five times and served the State as Minister for four times. He also remained Member of Lok Sabha. He was an untiring Social Worker who made all-out efforts during his whole life for the welfare of the farmers and the weaker sections of the society.

Padamshree Seth Sirikishan Dass was a renowned social worker of our State and for his great social services he was conferred with Padamshree award. He was elected to this august House for three times and served the State as Minister for two times. He was a devoted social worker, who worked for the upliftment of the downtrodden and the poor sections of the society.

[Mr. Deputy Speaker]

Shri Satbir Singh Malik was elected to this House once and remained Minister for some time. He also worked for the welfare of the poor people.

Shri Lal Singh was elected to this august House for four times. He served as Parliamentary Secretary, Deputy Minister and Minister of State. He was a great freedom fighter and active social worker.

Shri Bhagmal remained Member of this House for three times. He also served as Parliamentary Secretary for some time. He was a great social worker.

Shri Amir Chand Kakkar was elected to this august House for two times. He was a committed social worker who made his sincere efforts to improve the socio-economic status of poor sections of the society.

The freedom fighters and Martyrs are always remembered by the society due to their selfless service to the society and deep love for the country and countrymen.

We have lost our many dears and nears and their absence will be felt by all of us for long.

I pray to Almighty to give peace to these departed souls. I will convey the feelings of this House to the bereaved families. Now I request all of you to kindly stand up for two minutes to pay homage to the departed souls.

(इस समय सदन के उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

घोषणाएं

(क) उपाध्यक्ष द्वारा -

चेयरपर्सन्ज़ के नामों की सूची

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Panel of Chairperson:

1. Prof. Sampat Singh, MLA
2. Shri Anand Singh Dangi, MLA

3. Shri Rampal Majra, MLA
4. Shri Anil Vij, MLA

(ख) सचिव द्वारा -

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बंधी

Mr. Deputy Speaker : Now, the Secretary will make an announcement.

श्री सचिव : मान्यवर, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाले विवरण, जो हरियाणा विधान सभा ने अपने फरवरी, 2009, जुलाई-अगस्त, 2009 एवं सितम्बर, 2010 में हुए अधिवेशनों में पारित किये थे तथा जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज़ पर रखता हूं :-

February Session, 2009

*The Haryana Shri Kapal Mochan, Shri Badri Narain, Shri Mantra Devi and Shri Kedar Nath Shrine Bill, 2009.

July-August Session, 2009

1. The Haryana Police (Amendment) Bill, 2009
2. The Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2009

September Session, 2010

1. Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Bill, 2010.
2. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2010
3. The Haryana Private Universities (Second Amendment) Bill, 2010
4. The Kurukshetra University (Amendment) Bill, 2010
5. The Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 2010.
6. Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya Khanpur Kalan (Amendment) Bill, 2010.
7. Chaudhary Devi Lal University Sirsa (Amendment) Bill, 2010.
8. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2010.
9. Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal (Amendment) Bill, 2010.
10. YMCA University of Science and Technology Faridabad (Amendment) Bill, 2010.
11. Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar (Amendment) Bill, 2010.

[श्री सचिव]

12. The Haryana Gau-Seva Aayog Bill, 2010.

13. The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Second Amendment) Bill, 2010.

14. The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2010.

15. The Haryana Service of Engineers, Group A, Irrigation Department Bill, 2010.

16. The Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Bill, 2010.

17. The Haryana Service of Engineers, Group A, Public Works (Buildings and Roads) Department Bill, 2010.

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee met at 11.00 A.M. on Friday, the 4th March, 2011 in the Chamber of the Hon'ble Speaker

"The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilst in Session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday will meet at 10.30 A.M. and adjourn at 2.30 P.M. without question being put.

On Friday, the 4th March, 2011 the Assembly shall meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address and adjourn after the conclusion of business entered in the List of Business for the day.

The Committee further recommends that on Tuesday, the 15th March, 2011, the Assembly shall meet at 10.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business.

The Committee, after some discussion, further recommends that the business on 4th, 7th to 11th ,14th and 15th March, 2011 be

transacted by the Sabha as under :-

THE HOUSE WILL MEET IMMEDIATELY HALF AN HOUR AFTER THE CONCLUSION OF THE GOVERNOR'S ADDRESS ON THE 4TH MARCH, 2011	1. Laying a copy of the Governor's Address on the Table of the House. 2. Obituary References. 3. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee. 4. Election of Speaker. 5. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House. 6. Presentation of Four Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final reports thereon.
SATURDAY, THE 5TH MARCH, 2011	HOLIDAY.
SUNDAY, THE 6TH MARCH, 2011	HOLIDAY.
MONDAY, THE 7TH MARCH, 2011 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule 121. 3. Discussion on Governor's Address.
TUESDAY, THE 8TH MARCH, 2011 (10.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of discussion on Governor's Address and voting on Motion of Thanks. 3. Presentation, Discussion and Voting on Supplementary Estimates (2nd Instalment) for the year 2010-2011 and Report of the Estimates Committee thereon.
WEDNESDAY, THE 9TH MARCH, 2011 (10.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Presentation of Budget Estimates for the year 2011-2012.
THURSDAY, THE 10TH MARCH, 2011 (10.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Non-official Day.
FRIDAY, THE 11TH MARCH, 2011 (10.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Presentation of Reports of Assembly Committees.

[Mr. Deputy Speaker]

	3. General discussion on Budget Estimates for the year 2011-2012.
SATURDAY, THE 12TH MARCH, 2011	HOLI DAY.
SUNDAY, THE 13TH MARCH, 2011	HOLIDAY
MONDAY, THE 14TH MARCH, 2011 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of discussion on Budget Estimates for the year 2011-2012 and Finance Minister's reply and voting on Demands for Grants on Budget Estimates for the year 2011-12.
TUESDAY, THE 15TH MARCH, 2011 (10.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule 15 regarding Non-stop Sitting. 3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die. 4. Papers to be laid, if any. 5. Presentation of Reports of the Assembly Committees. 6. The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates (2nd Instalment) for the year 2010-2011. 7. The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 2011-2012. 8. Legislative Business. 9. Any other Business.

Mr. Deputy Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

P.W.D. (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move -

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी) : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस कम से कम एक महीने के लिए चलाया जाये । (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : जितना बिजनेस होगा, हाउस तो उतना ही चलेगा ।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, Let me say ऐसा हो सकता है कि आपके पास बिजनेस न हो लेकिन हमारे पास पूछने के लिए प्रश्न हैं । सर, मानना या न मानना आपका अधिकार क्षेत्र है लेकिन आप बात तो कहने दीजिए । मैं यह कहना चाहता हूँ कि मान लो 60 एम.एल.ए. अगर 10-10 प्रश्न दें तो 600 प्रश्न हो जाते हैं । एक दिन में 20 प्रश्न ही लगते हैं इसलिए 600 प्रश्नों को लगाने के लिए कम से कम 30 दिन का समय चाहिए । (विघ्न) पिछला सैशन भी केवल 3 दिन ही चला था। सर, इस प्रकार से हम अपने साथ भी और अपनी हरियाणा की जनता के साथ भी धोखा कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : विज साहब, आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा । (शोर) सबको बोलने का मौका दिया जाएगा ।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, एक साल में खाली दस दिन के लिए सत्र हो रहा है। सात सीटिंग पहले वाले बजट सत्र में हुई थीं जबकि तीन सीटिंग दूसरे सत्र में हुई थीं इस तरह से दस सीटिंग सारे साल में हुई हैं । अब भी एक तरह से सात सीटिंग ही होंगी । यह प्रजातंत्र के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ व प्रजातंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है । आपको कम से कम सत्र को एक महीने के लिए जरूर चलाना चाहिए । (शोर)

श्री उपाध्यक्ष : विज साहब, आप बैठें ।(शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला (उचाना कलां) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत इम्पोर्टैन्ट सैशन है लेकिन इसमें सिर्फ 8 दिन का ही काम है । अगर आप 15 तारीख तक का सारा हिसाब लगाएं तो सैशन 8 दिन ही चलेगा । 8 दिन के अंदर सभी मसलों पर चर्चा नहीं हो पाएगी क्योंकि हरियाणा प्रदेश में फ्लड की वजह से बड़ा भारी नुक्सान हुआ है इसके आप खुद भी भुक्तभोगी रहे हैं, ओलावृष्टि की वजह से भी नुक्सान हुआ है, हजारों एकड़ किसान की जमीन बिना बोए इस सरकार की मोहलियत की वजह से रह गयी है । किसान की भूमि कौड़ियों के भाव पर अधिग्रहण करके करोड़ों के भाव बड़े-बड़े बिल्डर्ज और डिवैल्पर्ज को बेच दी है । इस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति भी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बेकारी है तो ऐसे बहुत से मसले हैं जिन पर 8 दिन में चर्चा कैसे हो पाएगी ? इस सदन में 90 सदस्य हैं उनको बोलने का कुछ समय तो मिलना ही चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के एड्रैस पर भी सभी ने बोलना है और बजट पर भी सभी ने बोलना है इसलिए सदन का समय जरूर बढ़ाया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : सबको बोलने का मौका दिया जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो विद दि कंसैन्ट ऑफ दि हाउस सदन का टाईम भी बढ़ा दिया जाएगा ।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : उपाध्यक्ष महोदय, जब ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने बजट पर वर्ष 2000 में एक सीटिंग, मार्च, 2001 में तीन सीटिंग, मार्च, 2003 में तीन सीटिंग और फरवरी, 2004 में दो सीटिंग की थीं । मेरे पास विधान सभा का इस बारे में रिकार्ड है। कम से कम इनको स्वयं अपने अंदर झांककर देख लेना चाहिए कि ये किस मर्यादा से इस सदन को और सत्र को चलाया करते थे । (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बी.ए.सी.की मीटिंग में इस बारे में कहा था । **********

Mr. Deputy Speaker : Nothing to be recorded. (शोर) चौटाला साहब, सभी को बोलने का पूरा वक्त दिया जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो हाउस की कंसैन्ट के हिसाब से हाउस का टाईम बढ़ा दिया जाएगा ।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, * * * * * * (शोर)

Mr. Deputy Speaker : Question is-

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried

वाक आउट

(i) श्री रामपाल माजरा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो इसके विरोध में हम सदन से वाक आउट करते हैं ।

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य एवं शिरोमणि अकाली दल के सदस्य सदन की बैठकें न बढ़ाए जाने के विरोध में सदन से वाक आउट कर गए ।)

(ii) श्री अनिल विज : डिप्टी स्पीकर सर, आप हमारी बात पर विचार करें । अगर आप हमारी बात पर विचार नहीं करेंगे तो फिर हमारा सदन में बैठने का कोई मतलब नहीं है । मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सदन का समय जरूर बढ़ाएं ।

श्री उपाध्यक्ष : विज साहब, आप बैठिए ।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप सदन की सीटिंग्ज बढ़ाने के बारे में हमारी बात पर विचार नहीं कर रहे हैं तो इसके विरोध में हम सदन से वाक आउट कर रहे हैं ।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन की बैठकें न बढ़ाए जाने के विरोध में सदन से वाक आउट कर गए।)

श्री रामपाल माजरा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । हम विपक्ष के लोगों को अगर वाक आउट करके लॉबी में जाना हो तो हम कहां पर बैठे ? लॉबी में दस सदस्यों के लिए ही बैठने की जगह है इसलिए बाकी और सदस्य कहां बैठे ? मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी लॉबी में बैठने की व्यवस्था करवाएं । हम 50 आदमी विपक्ष के हैं जबकि रूलिंग के 40 सदस्य ही हैं । अगर हम वाक आउट करके विपक्ष की लॉबी में जाते हैं तो हमारे लिए वहां पर बैठने की जगह ही नहीं है।

अध्यक्ष का चुनाव

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, now we proceed with the next item i.e. the Election of the Speaker. Now, a Minister will move a motion.

Cooperation Minister (Shri H.S. Chatha) : Sir, I beg to move-

> That Shri Kuldeep Sharma, a Member of the Haryana Legislative Assembly, who is present in the House, do take the Chair as Speaker of the Assembly.

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Deputy Speaker Sir, I second the motion moved by the Cooperation Minister.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved -

> That Shri Kuldeep Sharma, a Member of the Haryana Legislative Assembly, who is present in the House, do take the Chair as Speaker of the Assembly.

Mr. Deputy Speaker : Is there any other proposal?

Voices : No.

Mr. Deputy Speaker : Since there is no other proposal, I declare Shri Kuldip Sharma, duly elected as Speaker unanimously. (Thumping). I request him to take the Chair.

(At this stage, Shri Kuldeep Sharma escorted by the Chief Minister and PWD(B&R) Minister occupied the Chair.)

बधाई भाषण

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सारे सदन की तरफ से आपको अध्यक्ष पद पर चुने जाने पर बधाई देता हूं और सदन का धन्यवाद भी करता हूं कि यूनैनिमसली आपको अध्यक्ष चुना है। आप पर पूरे सदन का बहुत विश्वास है । आप ऐसे राजनीतिक परिवार से हैं जो कि बहुत ही काबिल है। आप वकील भी हैं और आपको तजुर्बा भी है । पूरे सदन ने जो आप पर विश्वास रखा है मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उस विश्वास की कसौटी पर खरे उतरेंगे। सभी सदस्यों को बोलने का पूरा मौका देंगे और इस सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपनी तरफ से व पूरे सदन की तरफ से पुन: बधाई देता हूं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला (उचाना कलां) : अध्यक्ष महोदय, समूचे सदन ने आप पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है । मैं उम्मीद रखता हूं कि सदन के सभी सदस्यों ने जिस प्रकार से आप पर विश्वास व्यक्त किया है आप भी उन सभी को पूरा सम्मान प्रदान करेंगे। सदस्यों के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं करेंगे और सभी को स्टेट से या अपने क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों पर खुलकर बोलने का अवसर प्रदान करेंगे और पुरानी प्रथा को भी आप समाप्त करेंगे कि ये काट दो, ये काट दो। यह बाद में देखा जाएगा लेकिन उस वक्त जो सदस्य जो कुछ बोलता है उसे बोलने का मौका दिया जाएगा, ऐसी हम आपसे उम्मीद रखते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुन: बधाई देकर अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद ।

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी) : आज सदन ने हमारे नये अध्यक्ष का चयन किया है। मैंने तो पिछले सत्र में ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि आप अध्यक्ष बनेंगे। आप इंटैलैक्चुअल हैं और आपको जिस कुर्सी पर बिठाया गया है आप उसके योग्य हैं। कल तक आप कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रैजिडैण्ट थे लेकिन अब आप इस हाउस की सम्पत्ति हैं और आपको हम सभी सदस्यों के संरक्षण की पूर्ण जिम्मेदारी निभानी होगी। अब आपको अपने मन के अंदर से कांग्रेस को निकालना होगा और वैसे तो आज इस देश के जो हालात हैं उनमें इस देश के हर आदमी को ही अपने मन से कांग्रेस को निकालना पड़ेगा। (हंसी) विशेष रूप से आपको कांग्रेस को अपने मन से निकालकर हाउस को चलाना पड़ेगा। सबको बराबर का मौका देना होगा और अच्छे ढंग से सदन को चलाना होगा ताकि हर सदस्य अपनी बात कह सके और सबको पूरा अवसर दिया जा सके, इसकी आपको चिंता करनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सत्र को बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे और अच्छी परम्पराएं हमारा सदन स्थापित करेगा । धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आप चिंता न करें। if you will behave as a Member of the House तो आपको नहीं निकालेंगे। I expect a good behaviour from you. You rest assured.

श्री अनिल विज : आप तो चेयर पर बैठते ही निकालने की बात कर रहे हैं । आपसे अनुरोध है कि आप इस शब्द को वापस ले लें।

Mr. Speaker : आप ही ऐसा कह रहे हैं। You rest assured.

श्री अनिल विज : मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप को इस पार्टी का या उस पार्टी का नहीं मानेंगे।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने और पूरे सदन ने आपको निर्विरोध चुने जाने पर आपको मुबारकबाद दी। जहां मैं आपको बधाई देता हूं वहीं यह भी कहता हूं जैसा कि सदन के नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि आपके परिवार का एक पुराना इतिहास इस प्रान्त की सेवा का है । आपके पिता ने व आपने दोनों ने ही इस प्रान्त की सेवा की है । हम सबको पूर्ण यकीन है कि प्रजातंत्र की सारी मर्यादाएं जिनके लिए यह सदन मशहूर है उन पर आप खरा उतरेंगे। आपसे पहले भी जिन मुख्तलिफ स्पीकर साहेबान ने इस चेयर को गौरवान्वित किया है, आप उन परम्पराओं और मर्यादाओं को आगे लेकर जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं विपक्ष के मेरे साथियों से आपकी अनुमति से और आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह सदन कांग्रेस का सदन नहीं है । अकेले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ताधारी दल जरूर है बल्कि हम मानते हैं कि यह सदन समस्त हरियाणा प्रदेश के लोगों की सम्पत्ति है और हरियाणा के लोगों के हित में सरकार और सत्ता पक्ष जो नीतियां, जो विधेयक और जो अन्य प्रश्न लेकर आता है उनका भी कई बार छोटी मानसिकता छोड़कर या कई बार राजनीतिक मतभेद छोड़कर और उनसे ऊपर उठकर हरियाणा के लोगों के हित में वह उन सारे मदों का और विधेयकों का और नीतियों का समर्थन भी करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इस सदन में यहां लिखा है कि सभा में या तो प्रवेश न किया जाए अगर प्रवेश किया जाये तो स्पष्ट और सच्ची बात की जाए । आप पेशे से वकील भी हैं और आपका लम्बा राजनैतिक तजुर्बा भी है । कम से कम इस सदन के हरेक सदस्य को चाहे वह सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो और चाहे इन्डैपैंडेंट सदस्य हों इसके लिए हम सब को यह उम्मीद है कि जहां भुलभूत नीतियां यहां पर लागू करेंगे वहां सदन की मर्यादाओं और सदन की परम्पराओं जिनके संरक्षक आप हैं उनका भी ध्यान जरूर रखेंगें । जैसा कि श्री अनिल विज जी भी कह रहे थे कि सदन के सदस्य भी यह देखें कि उन मर्यादाओं और परम्पराओं से वे बाहर न जायें । आप पूरा अनुशासन और मर्यादाओं का पालन करवायेंगे । ऐसी हम सब को आपसे अपेक्षा भी है और सम्पूर्ण विश्वास भी है । मैं एक बार फिर स्वंय की तरफ से और पूरे सदन की तरफ से आपको मुबारिकवाद देता हूं ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, आपको इस सदन ने यूनानिमसली इलैक्ट किया इसके लिए मैं आपको मुबारिकवाद देना चाहता हूं । आप लॉ ग्रेजुएट हैं, वैल रैड हैं और अच्छे ओरेटर भी हैं । विशेष बात यह है कि आप कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रैजीडैंट भी थे । आप एक अच्छे परिवार से हैं और आपके पिता पण्डित चिरंजी लाल जी कई बार सांसद और मंत्री भी रह चुके हैं । आपको उनसे अच्छे संस्कार मिले हैं । मैं समझता हूं कि आप वैल रैड हैं और कई कण्ट्रीज में आपने विजिट भी किया है । मैं पिछले 21 साल से विधानसभा का मैम्बर हूं । जो लैवल ऑफ डिबेट है उसका स्तर बहुत गिर रहा है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो नये मैम्बर्ज आये

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
हैं उनको आप पूरा मौका दें बल्कि मेरा यह कहना है कि मैम्बर्ज को रूल्ज और रेगूलेशंज की पूरी नॉलेज मिले उसके लिए एक ओरियण्टेशन प्रोग्राम चलायें ताकि उनको पता लगे कि रूल्ज और रेगूलेंशंज क्या होते हैं । आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं इसलिए विशेष रूप से मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा कि जो बात श्री रणदीप जी ने कही कि आप हर सदस्य को बोलने का मौका देंगे और सभी मैम्बर्ज को अपनी मर्यादा में रहकर कार्य करने का अवसर देंगे । मैं समझता हूं कि आप अच्छे ढंग से हाउस को चलायेंगे । मैं पुन: आपको मुबारिकवाद देता हूं और आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपको यूनानिमसली इस पद के लिए चुना गया । धन्यवाद ।

Excise and Taxation Minister (Smt. Kiran Chaudhary) : Speaker Sir, first of all I would like to congratulate you for the great august Chair that you are occupying. Knowing you, knowing the sense you may that you have and also like my friend Capt. Ajay Singh Yadav has said you have a legal background, I am sure the running of this House is going to be a very good one. Sir, you have occupied a Chair which can set great precedents and I am sure that this Chair that you are occupying is going to take you far more farther than where you are just sitting. Also I know that while you are going to be here you will definitely leave footsteps on the sands of time so that the coming generations will be able to emulate and know that we had a Speaker such as you who graced this Hon'ble Chair.

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधानसभा के इस सर्वोच्च पद पर चुने जाने के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देती हूं । पूरे सदन का इस बात के लिए धन्यवाद करती हूं कि आपका चुनाव यूनानिमसली हुआ । सभी सदस्यों ने अपनी सहमति से आपको इस महत्वपूर्ण पद पर बैठाने की जो एक सहमति की है उसके लिए भी मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूं । इसके साथ-साथ जैसा कि सभी सदस्यों ने कहा कि आप इस सर्वोच्च और गरिमापूर्ण पद पर आज सुशोभित हुए हैं इससे यही उम्मीद की जायेगी कि जिस तरह से आपके परिवार की एक परम्परा रही है । आपके पिताजी कई बार सांसद रह चुके हैं । आप ने भी अच्छे ढंग से लॉ की पढ़ाई की है । अच्छे ढंग से वकालत भी की है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने एक सदस्य के रूप में यहां विधानसभा में बहुत अच्छे ढंग से चर्चा भी की है । यह सदन और हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि जो हमारा बजट सत्र है वह बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चले। जिस तरह से सभी ने मिलकर आपको इस सर्वोच्च पद, जो सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा जी के मंत्री बनने के बाद खाली हुआ है, उस पर बिठाया है, उस पर आज आप सुशोभित हुए हैं । मैं समझती हूं कि यह इस सदन और इस विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण पद है और बहुत जिम्मेवारियों से भरा हुआ यह पद है । अध्यक्ष महोदय, आप इस पद पर रहते हुए बहुत अच्छे ढंग से कार्य करेंगें ऐसी उम्मीद हम आपसे करते हैं । हमारे सभी सदस्यगण इसमें

आपको पूरा सहयोग देंगें ताकि शांतिपूर्ण ढंग से हमारा सदन चल पाए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुन: आपको बधाई और शुभ कामनाएं देती हूं ।

प्रो. सम्पत सिंह (नलवा) : अध्यक्ष महोदय, सारे हाउस ने, रूलिंग पार्टी ने, अपोजीशन ने और इंडीपैंडेंटस ने जो आपको समर्थन दिया है और यूनानीमसली आपका चुनाव हुआ है इस बात के लिए मैं सारे हाउस का धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं । अध्यक्ष महोदय, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, एक बुद्धिजीवी इंसान हैं, वैल ट्रैवल्ड इंसान हैं और इतने ज्यादा वैल एक्सपीरियंस्ड हैं और एक्सपीरियंस्ड परिवार से आप रहे हैं । आप जिस चेयर पर बैठे हैं हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चेयर की गरिमा को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगें । यहां पहले भी जो स्पीकर्ज रहे हैं उन्होंने इस चेयर की काफी रिस्पैक्ट की । अध्यक्ष महोदय, मैं सारे हाउस के मैम्बर्ज से भी चाहूंगा कि वे आपस में भी सहयोग करें । अध्यक्ष महोदय, हम उम्मीद करते हैं कि इस चेयर पर जो व्यक्तित्व बैठा है वह सबके साथ न्याय करेगा । आप हाउस के कस्टोडियन के रूप में अपने आप को प्रमाणित करेंगें । अध्यक्ष महोदय, चूंकि स्पीकर से हर मैम्बर को उम्मीद होती है चाहे वह मैम्बर नया चुनकर आया हो या फिर कोई पुराना मैम्बर हो । विपक्ष के मैम्बर्ज को स्पीकर से खास उम्मीदें होती हैं कि वे उनको बोलने का पूरा टाइम देंगें । अध्यक्ष महोदय, आप कुछ नई परम्परायें यहां रखेंगें । अभी बहन किरण जी ने कहा कि कुछ ऐसे प्रैसीडैंट आप सैट कर सकते हैं जो आने वाले वक्त के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक साबित हों । अध्यक्ष महोदय, आप एक संस्कारी परिवार से हैं, आप उच्च कोटि के राजनैतिक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं इसलिए हमारी उम्मीदें आपसे और ज्यादा बढ़ गई हैं । इंसान कई बार गलतियों से और एक्सपीरियंसों से सीखता है । हमारे कुछ बेड एक्सपीरियंस भी रहे हैं लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे बेड एक्सपीरियंस अब नहीं होंगें । मैं सभी मैम्बर्ज से कहना चाहूंगा कि वे सही ओकेजन पर सही बात कहें तो ज्यादा शोभा देता है । अधिवेशन आता है तो हर आदमी सोचता है कि बजट में हमारे लिए क्या क्या होगा और लोग हमसे बहुत उम्मीदें करते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं 1982 से विधानसभा में आ रहा हूं और मेरा लम्बा एक्सपीरियंस है । मैंने हमेशा देखा है कि विधानसभा का काम विधायी होता है । सरकार का काम होता है कार्य प्रणाली को ठीक ढंग से चलाना और विधानसभा जो कानून बनाती है उनको लागू करवाना । कानूनों की तरफ विधान सभा का और विधान सभा के मैम्बर्ज का ध्यान नहीं जाता। यहां 8-8, 9-9 तथा 10-10 बिल और इतने इम्पोर्टैंट बिल बिना किसी पार्टिसिपेशन के बिना किसी कंट्रीब्यूशन के पास हो जाते हैं । यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है । मैं इस बात को बहुत सालों से महसूस कर रहा हूं । विधान सभा में बिल पास होते हैं, एक्ट पास होते हैं । बिलों में अमैंडमैंट यहां होती हैं, नोटिफिकेशन यहां होती हैं, पोलिसी ले डाउन यहां होती है, पोलिसी डिसाइड यहां होती हैं, कमेटियों की रिपोर्टस यहां आती हैं । विधान सभा में बहुत ज्यादा मीटिंग्ज होती हैं और उनमें बहुत ज्यादा काम होता है इसलिए इन कामों पर मैम्बर्ज स्टडी करके और मेहनत करके आएं तो ज्यादा अच्छी बात है । मैम्बर्ज पोलिटिकल बातें, इधर उधर की बातें और एक दूसरे की बात तो प्रैस के मार्फत या स्टेज के मार्फत कर लेते हैं । यह ऑगस्त हाउस इस बात का प्लेटफार्म है कि जहां से हम किसी भी नए रूल, नए बिल या कोई अमैंडमैंट के बारे में अपने विचार रख सकते हैं इसलिए हम सब यहां होने वाली कार्यवाही के बारे

[प्रो. सम्पत सिंह]

में अच्छी तरह से पढ़कर आएं तो बहुत अच्छी बात है । अध्यक्ष महोदय, सभी स्पीकर्ज ने यहां अच्छी परम्पराएं रखी हैं लेकिन जिस कमी को मैंने अब तक महसूस किया है और जिसके बारे में लोग भी सोचते हैं कि यह क्या तमाशा हो रहा है इसलिए इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाए। अध्यक्ष महोदय, कानून और बिल यहां बिना किसी डिस्कशन के दो मिन्ट में पास हो जाते हैं । मेरी सभी मैम्बर्ज से रिक्वैस्ट है कि वे भी इसमें अपना कंट्रीब्यूटशन दें। अध्यक्ष महोदय, आप भी चाहे क्लास लेकर या कोई ट्रेनिंग देकर, सीनियर पार्लियामैंटेरियंस चाहे वे रिटायर हो गए हों या डिफरैंट असैम्बलीज में रहे हों उनको बुलाकर उनसे मैम्बर्ज को लैक्चर दिलवाएं । यह चीज बहुत जरूरी है वरना तो आज के दिन असैम्बलीज बदनाम हो रही हैं, पार्लियामैंट बदनाम हो रही हैं । बिना किसी रीजन के टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो रहे हैं । मैम्बर्ज एक चीज की आड़ में अड़ जाते हैं और उसको अपनी मूंछ का सवाल बना लेते हैं । इस तरह मूंछ का सवाल बना लेने से बात नहीं बनेगी । मूंछ का सवाल बनाना है तो पब्लिक के इंट्रस्ट के लिए मूंछ का सवाल बनाएं तो ज्यादा अच्छा होगा । इन पब्लिक इन्ट्रस्ट टाईम खर्च करना चाहिए न कि अपने पोलिटिकल इन्ट्रस्ट या इन्डीविजुअल इन्ट्रस्ट के लिए हम सदन का समय खर्च करें । We should fight and do something for the public interest. अध्यक्ष महोदय, यह मेरी आपसे अर्ज है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इस महान सदन को सुचारू रूप से चलाने में कामयाब रहेंगे । धन्यवाद ।

मुख्य संसदीय सचिव (राव दान सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आपको इस गरिमापूर्ण सदन का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं । अध्यक्ष महोदय, बहुत से पद ऐसे होते हैं जिनसे व्यक्ति सुशोभित होते हैं और बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पद को सुशोभित करते हैं । मुझे पुरा विश्वास है कि जिस तरह के संस्कार, जिस तरह के राजनीतिक परिवार से आप चलकर आये हैं निश्चित रूप से इस सदन की गरिमा को बढ़ायेंगे । अध्यक्ष महोदय, यह वह सदन है जिससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है । इस प्रदेश की महान जनता ने हम लोगों को यहां जनप्रतिनिधि चुनकर भेजा है और यहां आने के बाद हमें इस बात का इल्म नहीं कि हमारे क्या अधिकार हैं, कौन सी विधि किस तरह से स्थापित की गई है और उसका मकसद क्या है । इन बातों की जानकारी देने के लिए जैसा प्रो. सम्पत सिंह जी ने कहा है कि ओरिंटेशन प्रोग्राम करवाना चाहिए जिससे हमारे नये आगंतुक सदस्यों को विधायी कार्यों की जानकारी हो सके और उन्हें यह भी बताया जाना चाहिए कि यदि उन्हें प्रश्न लगाना है या सदन में सवाल पूछना है तो उसकी कार्यवाही कैसे की जाती है । अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लिए भी मै इतना ही कहना चाहूंगा कि विपक्ष के लिए केवल मात्र विरोध करना सार्थकता नहीं है । आप इस सदन के संरक्षक हैं। विपक्ष को चाहिए कि वे एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार की त्रुटियों को उजागर करेंगे तो हम भी समझेंगे कि वे सही बात कर रहे हैं लेकिन विपक्ष अगर विरोध करने के लिए ही अपनी बात कहे तो वह बात आपने देखनी है। अध्यक्ष महोदय, यदि कोई एक अंगुली दूसरे की तरफ इंगित करता है तो तीन उँगलियां उसकी तरफ भी होती हैं यह बात विपक्ष को सोचनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा भरोसा है कि इस हाउस का विश्वास जिस तरह से आपके अंदर है आप भी पूरे सदन की गरिमा को बरकरार रखते हुए इस सदन को

बहुत सुंदर तरीके से चलायेंगे । आपका पुन: धन्यवाद ।

मुख्य संसदीय सचिव (श्रीमती अनिता यादव) : अध्यक्ष महोदय, आज आप सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर नवाजे गये हैं इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने हल्के अटेली के लोगों की तरफ से बहुत-बहुत बधाई देती हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं लगभग पिछले 11 साल से इस महान सदन की सदस्या हूं और मुझे यहां अपनी बातें रखने का अवसर मिला है । अध्यक्ष महोदय, जो आपसे पूर्व अध्यक्ष आये उनके समय में हमें कई बार ठीक से अपनी बातें कहने का अवसर मिला और कई बार हमारे समय में कटौती भी की गई । मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आप सभी विधायकों को अपनी बातें रखने का पूरा अवसर देंगे क्योंकि आप राजनैतिक परिवार से जुड़े हुए हैं और आप हल्कों में जो समस्याएं होती हैं उनको भलीभांति समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय मैं पहली बार इस सदन में विधायक बनकर आई थी उस समय विधायकों को अपनी बात कहने के लिए बहुत कम समय दिया जाता था और कुण्डी बंद करके बजट पढ़ दिया जाता था । हमें उम्मीद है कि आप उन परम्पराओं को पूरी तरह से खत्म करके उन पर लम्बी लाईन लगाकर सभी सदस्यों को अपनी बातें कहने का अवसर देंगे तो हम आपके कृतज्ञ रहेंगे । अध्यक्ष महोदय, हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि जो तानाशाही परम्परायें वर्ष 2000-05 के दौरान रहीं उनको आप खत्म करेंगे । उस समय का मेरा रिकार्ड निकलवाकर उसको देखते हुए आप मुझे पूरा समय अपनी बात कहने के लिए देंगे । अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपको और सदन को पुन: धन्यवाद देती हूं ।

श्री आफताब अहमद (नूह) : अध्यक्ष महोदय, आज आपको इस महान सदन के सर्वोच्य पद पर सर्वसम्मति से नवाजने के लिए बधाई देता हूं । आज सबसे बड़ी बधाई इस बात की है कि आप युवा पीढ़ी को रिप्रजैंट करते हैं और हमें उम्मीद है कि जो विधान सभा की परम्पराएं हैं जिनके बारे में हमारे बहुत से मैंबरान ने चिंता व्यक्त की है उनका आप पूरी तरह से सकारात्मक निर्वहन करेंगे । किसी क्षेत्र विशेष की जनता एक विधायक को अपनी समस्याओं को उठाने की जिम्मेदारी को निभाने के लिए इस सदन में चुनकर भेजती है । स्पीकर सर, जैसे मेरे से पहले कुछ माननीय सदस्यों ने नये मैम्बर्ज़ के लिए ओरिएंटेशन कैम्प और दूसरी प्रकार के मार्गदर्शन की बात कही है वह होनी चाहिए जिससे वे अपनी समस्याओं को सही ढंग से इस सदन में रख सकें। स्पीकर सर, इसके साथ ही मुझे यह भी विश्वास है कि आप इस पद की गौरवपूर्ण गरिमा को आगे बढ़ाते हुए मेरे जैसे नये मैम्बर्ज़ को पूरा मौका देंगे । स्पीकर सर, हमें उम्मीद है कि आप अपने अनुभव और पूर्ण क्षमता के साथ इस सदन को सफललापूर्व चलायेंगे। एक बार फिर मैं आपको बधाई और शुभ कामनाएं देता हूं । धन्यवाद ।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री प्रह्लाद सिंह गिलांखेडा) : अध्यक्ष महोदय, आज आपको इस उच्च पद पर चुने जाने पर लीडर ऑफ दी हाउस माननीय मुख्यमंत्री जी ने समूचे सदन की तरफ से बधाई दी है, मैं भी आपको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं । जैसा कि अभी हमारे पार्लियामैंट्री अफेयर्ज़ मिनिस्टर ने बताया कि यह जो सदन है यह हमारे हरियाणा प्रदेश की सम्पत्ति है और इसमें कोई दो राय भी नहीं । मुझे विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश की इस सम्पत्ति के ऊपर आज जो हरियाणा के लोगों का हक है वह उनको हर हाल में मिलना ही चाहिए । अभी माननीय

[श्री प्रहलाद सिंह गिलांखेडा]

सदस्य श्री सम्पत सिंह जी ने कहा कि कुछ परम्परायें ऐसी हैं जो लोकसभा और विधान सभाओं में बदल रही हैं यानि हमारी लोकसभा और विधान सभायें जैसे वास्तव में चलनी चाहिए आज वे उससे थोड़ा हटकर चल रही हैं । मुझे यह विश्वास है कि हरियाणा की धरोहर को कायम रखने के लिए आप जैसे तजुर्बेकार और संस्कारवान व्यक्ति को मौका मिला है। विपक्ष के साथियों ने भी जिस तरीके से आपको आश्वस्त किया है मुझे उम्मीद है कि वे भी अपने आश्वासन पर कायम रहेंगे । स्पीकर सर, मैं तो इस सदन में पहली बार चुनकर आया हूं मैंने यह देखा है कि यहां पर सीखने के लिए बहुत कुछ है बशर्ते कि सीखने के लिए हमारी सकारात्मक सोच हो । मैं अपने सभी विधायक साथियों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सोच पॉजीटिव होनी चाहिए । यहां कई सदस्य ऐसे भी हैं जो भावनाओं में बहकर इस सदन को राजनीति का अखाड़ा बनाने की नकारात्मक सोच रखते हैं हमें ऐसी सोच से भी बचना चाहिए । मैंने इस सदन में 2-3 बार देखा है कि कुछ माननीय सदस्य बोल तो यहां रहे होते हैं लेकिन उनका मुंह प्रैस-गैलरी की तरफ होता है । मैं यह मानता हूं कि हमारी प्रैस गरिमापूर्ण है । यह जरूरी नहीं है कि वह नैगेटिव सोच की तरफ ही ध्यान देती है अगर हम यहां पर पॉजीटिव बात भी करेंगे तो भी प्रैस वाले उसको छापते हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे प्रैस की तरफ देखकर भाषण न दें । मेरा माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन है कि वे सभी इस महान सदन की गरिमा को बनाकर रखें । इसके साथ-साथ हमें आपसे भी पूरे विश्वास के साथ यह उम्मीद है कि पूरे सदन ने आपमें जो विश्वास व्यक्त किया है उसे आप कायम रखते हुए इस पद की गरिमा को और भी बढ़ायेंगे। इसके साथ ही एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो इस सदन में वॉकआऊट का सिस्टम है उसको भी आप बदल देंगे । अगर ऐसा होता है तो यह एक बहुत बड़ी परम्परा बन जायेगी । इसके साथ ही मैं पुन: आपको हार्दिक बधाई देता हूं और आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हमारी तरफ से आपको पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा । धन्यवाद ।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर (तिगांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनने पर हार्दिक बधाई और शुभ-कामनाएं देता हूं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के साथ ही आपकी भूमिका भी बदल गई है । अब से पहले आपकी भूमिका के बारे में यह कहा जा सकता है कि गलत को भी ठीक कहने की रही होगी लेकिन आज आप हाऊस के कस्टोडियन हैं इसलिए आज आपको सम्पूर्ण हाऊस के साथ न्याय करना पड़ेगा । पूरे सदन को आपसे बहुत उम्मीदें हैं इसीलिए आज आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष की गरिमापूर्ण कुर्सी पर बिठाया गया है । अध्यक्ष महोदय, आप काबिल भी हैं और योग्य भी हैं । आप एक ऐसे महान परिवार से सम्बंध रखते हैं जिसका राजनीतिक और सामाजिक जीवन में एक सराहनीय और महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राजनीति आपको विरासत में मिली है या यूं कहें कि राजनीति आपके खून में रची और बसी है । इसलिए आपसे इस हाऊस की उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं । पार्लियामैंट्री अफेयर्ज़ मिनिस्टर जी कह रहे थे कि हाऊस में नई परम्पराओं की शुरूआत होनी चाहिए । श्री गिल्लांखेड़ा जी ने कहा कि कुछ मैम्बर्ज़ प्रैस की तरफ देखकर अपनी बात कहते हैं । इस बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहाँ तक इन्होंने उस परम्परा को बदलने की बात की है तो नई परम्पराएं आप

की तरफ से भी शुरू होनी चाहिएं कि आप सदन के नेता की तरफ देख कर हाउस को नहीं चलायेंगे, आप अपने विवेक से इस हाउस को चलायेंगे, एक नई परम्परा यहाँ पर शुरू होनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम संख्या में बेशक कम हैं और जैसा कि गिलाखेड़ा जी ने कहा, कि हम आलोचना के लिए आलोचना नहीं करेंगे । हम सत्र में या विधानसभा में इसलिए आते हैं ताकि सरकार को रचनात्मक सुझाव और अच्छे सुझाव दें । सरकार से कहीं गलतियाँ हुई हैं तो उन पर सरकार का ध्यान आकर्षित करें । हम हाउस को चलाने में आपका पूरा-पूरा सहयोग करेंगे लेकिन इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि हमें जनता की बात, अपनी बात तथा हरियाणा के तमाम तबकों की दुख तकलीफ की बात कहने का पूरा समय मिलेगा क्योंकि वैसे भी साल भर में हाउस कम ही चलता है । अंत में मैं आपको पुन: बहुत-बहुत बधाई देता हूँ ।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके जीवन के सुनहरे दिन पर आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद देता हूँ । आज का दिन आपके राजनीतिक जीवन में बहुत शुभ दिन है । साथ ही मैंने देखा कि पार्लियामैंट्री सिस्टम में हाउस को चलाने के लिए स्पीकर के ऊपर सारा दायित्व होता है और स्पीकर हमेशा एबोव दा वोट होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सहयोग से ही हाउस चलता है । परन्तु हमें यहाँ देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष हाउस को चलाना चाहता है और विपक्ष का मन हाउस को नहीं चलने देने में होता है । सदन में नारेबाजी, वैल में आना जबकि नारेबाजी तो सदन से बाहर की बात है । अब से पहले जितने भी सत्र हुए मेरे हिसाब से जो भी यहाँ पर अध्यक्ष थे उन्होंने विपक्ष को बोलने के लिए पूरा समय दिया, अपनी बात कहने का समय दिया । मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस हाउस को अच्छी तरह से चलायेंगे । आज भी जब बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें विपक्ष के नेता ने इस बात के लिए कहा कि टाईम बढ़ाया जाये । इस तरह की कोई बात नहीं है अगर हाउस चाहेगा, अध्यक्ष चाहेंगे तो हाउस का समय बढ़ा दिया जायेगा लेकिन जो बिजनैस है उसी के हिसाब से हाउस को चलायेंगे । मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि You will set a new precedent. सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस हाउस में डिसिप्लीन जरूर मेनटेन रखेंगे जो डिसिप्लीन को फोलो नहीं करता उसको आप सदन से बाहर का रास्ता जरूर दिखायेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ।

श्री रामपाल माजरा (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, आपको अध्यक्ष चुने जाने पर मैं आपको बधाई देता हूँ । आप एक विजनरी पर्सनलिटी हैं और आप यह भली प्रकार से समझते हैं कि हम जो जन समस्याओं से लदे विधायक यहाँ पर पहुंचते हैं और हम किसी भी स्पीकर के बारे में अगर बाहर जा कर बताते हैं कि यह स्पीकर बहुत अच्छा है तो यह तभी बताते हैं जब हमारे अधिकार, जो स्पीकर के हाथ में महफूज होने के नाते वे हमें देते हैं अगर हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया जाता है तो फिर वाक आउट, वैल में आना यह तो हमारा अधिकार है । हमें हमारी आवाज को उठाने न दें, हमारी आवाज को दबाने का प्रयास करें, स्पीकर सर, लोकतंत्र दबता नहीं। स्पीकर सर, लोकतंत्र में आप विधायकों की आवाज मत समझना ये जनता की आवाज बन कर यहाँ आये हैं । जन समस्याओं का निवारण कर सकें और विशेष तौर से विपक्ष की यहाँ पर

[श्री रामपाल माजरा]

बहुतायत है अगर इनको ज्यादा से ज्यादा समय देंगे तो हम आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे क्योंकि स्पीकर सर, हर समस्या का निदान, चिन्तन यहाँ पर होता है । अगर आप हमें समय नहीं देंगे तो हम क्या प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा के पुल बांधने के लिए तो और साथी पीछे बैठे हैं, चाहे वह गलत हों या ठीक हों । स्पीकर सर, आप भी यहाँ पर रहे हैं । वह तो कहना ही पड़ता है । सरकार के पास तो वैसे ही बहुत कुछ करने को होता है । हमारे पास तो सिर्फ वाकयुद्ध है, वह लेकर हम यहाँ पर आये हैं । आप जैसी कोई पर्सनलिटी यहाँ पर बैठी हो और समाधान कान पकड कर करवा दे तो अच्छी बात है, नहीं तो स्पीकर सर, हम लौट कर लोगों में जा करके यही बात कहते हैं कि हम वहाँ गये तो थे आपकी बात कहने परन्तु हमें निकाल दिया, वहाँ से सस्पैंड कर दिया । ऐसी कोई परम्परा आप कायम ना करना चाहे हमारे लीडर ऑफ दी हाउस और चाहे पार्लियामैंट्री अफेयर मिनिस्टर आप पर कितना ही दबाव दें, आप हमें यही पर विधान सभा में ही रखना ताकि हम जनता की आवाज उठा सकें। ये जिस प्रकार से एक पन्ना पढ़कर सुना देते हैं उसको आप मत सुनना।

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Speaker Sir, this is a personal aspersion that Member is levelling on the Chair.

Mr. Speaker : Mr. Surjewala, is he talking about his personal experience?

Shri Randeep Singh Surjewala : I think so, Sir.

Mr. Speaker : That's all.

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आपको ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए। आप उस समय यहां पर नहीं थे । उस समय कैसी हालत रही होगी, किस तरह से विधान सभा चली होगी उसके बारे में आप सुरजेवाला जी को याद दिलवा रहे हैं । मैं समझता हूं कि आप नवीनीकरण करके दिल में आए होंगे । जिस पद पर आप बैठे हैं वहां से आपकी नजरें हमारी तरफ रहेंगी । अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं पुन: आपको बधाई देता हूं ।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामकिशन फौजी) : अध्यक्ष महोदय, आज पूरे हाउस ने सर्वसम्मति से आपको स्पीकर चुना है इसके लिए मैं आपको मुबारिकवाद देता हूं । आज पूरे हाउस ने आपमें विश्वास जताया है । मैं यह कहना चाहूंगा कि सामने बैठने वाले हमारे साथियों ने भी आपका धन्यवाद किया है । ऐसा करके उन्होंने भी हाउस में एक अच्छा काम किया है । सबने सहमति से आपको चुना है । यह एक अच्छी परम्परा स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी । जिस तरह से प्रो. सम्पत सिंह जी ने तथा दूसरे सदस्यों ने अपने सुझाव दिए, वह स्वागत योग्य हैं । 11 सालों से मैं भी इस हाउस में हूं । मैं आपसे एक अच्छी आशा रखता हूं क्योंकि आप कुण्डली भी अच्छी तरह से देखते हों, वक्ता भी अच्छे हों और आपको पूरा ज्ञान भी है । इस सदन को चलाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि वाक आउट करने की जो परम्परा है उसको आपको समाप्त करना चाहिए । जो दरवाजे से उधर जाने के बाद अखबारों में सुर्खिया आ जाती हैं

उनसे जनता का कुछ होने वाला नहीं है । मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप इनको भी बोलने का मौका दीजिए क्योंकि वाक आउट करने की परम्परा ठीक नहीं है । हरियाणा के लोग अब पढ़े लिखे हैं, अब वे शिक्षित हैं क्योंकि सरकार ने इसके लिए प्रबन्ध किया है । मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा । मेरा आपसे निवेदन है कि वाक आउट करने की परम्परा मुख्यमंत्री जी ने भी और हमने भी देखी है इसलिए यह परम्परा नहीं होनी चाहिए बल्कि जो जनता की बातें हैं उनके बारे में बोलने के लिए हर सदस्य का हक बनता है । मुझे पूरा विश्वास हैं कि आप वाक आउट करने की परम्परा को जरूर खत्म करेंगे ।

Shri Vinod Sharma (Ambala City) : Hon'ble Speaker Sir, this House has elected you unanimously with the confidence that you will maintain the dignity of the House and you will ensure that we all maintain the dignity of the House. To run the House there are rules and we all will follow the rules. And another rules we know that you are an educated person and many of us may not be as educated as you are but many of us also are educated people and we know that everybody will be supported that the House runs very smoothly and as it should run in democracy. Without giving any sermons, I would congratulate you on occupying this Hon'ble Chair. Thank you.

श्री अनिल धंतौड़ी (एस.सी./शाहबाद) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके निर्विरोध चुने जाने पर मैं इस सदन का भी धन्यवाद करता हूं और आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं । मैं समझता हूं कि आप इस सदन को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चलाएंगे क्योंकि आप इस सदन को चलाने में सक्षम भी हैं और आपका एक राजनैतिक तजुर्बा भी है । अध्यक्ष महोदय, मैं समय-समय पर अपने हल्के की समस्याओं और हरियाणा के युवाओं की समस्याओं को आपके बीच में लेकर आऊंगा । मुझे पूर्ण आशा है कि इसमें आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे । अंत में मैं एक बार फिर आपको बधाई देता हूं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस सदन को बहुत बढ़िया तरीके से चलाएंगे ।

17.00 बजे

श्री राजपाल भूखड़ी (एस.सी.) (सढौरा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आपको पूरे सदन ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है मैं आपको अपनी तरफ से और अपने इलाकावासियों की तरफ से बधाई देता हूं । आप तर्जुबेकार हैं और आपके पिता चार बार सांसद रहे। आपको राजनीति का तर्जुबा है। मैं मानता हूं कि आप पक्ष और विपक्ष दोनों को ठीक और निष्पक्ष तरीके से चलाएंगे। जैसा हमारे आदरणीय चौधरी संपत सिंह जी ने कहा कि हमें कैमरे और प्रैस गैलरी की तरफ देखकर यहां नहीं बोलना चाहिए। मैं भी इस बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि हमें कभी ऐसा भी करना चाहिए कि जब टी.वी. पर लोकसभा या विधान सभा की कार्यवाही प्रसारित की जाती है या विधान सभा का सैशन चलता है तो हम जनता को ये बताए बगैर कि हम किसी सदन के सदस्य हैं, हमें आम जनता के साथ बैठकर कार्यवाही देखनी चाहिए और गौर से उसमें यह

[श्री राजपाल भूखड़ी]

देखना चाहिए कि जो लोग सदन में गलत तरीके से व्यवहार करते हैं उनके प्रति जनता का क्या रुख या रवैया होता है। मेरा यह मानना है कि जिन लोगों का सदन में अच्छा व्यवहार नहीं होता उनको जनता नहीं चाहती है। मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप सभी सदस्यों को चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, बराबर बोलने का मौका देंगे ताकि वे अच्छी तरह से अपनी बात कह सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुन: बधाई देते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am deeply grateful to all of you for electing me for the constitutional post of Speaker of this august House. I accept this unique honour in all humility and gratitude. I am thankful to the Leader of the House, Shri Bhupinder Singh Hooda, Leader of the Opposition, and leaders of the other political parties for making it possible. Hon'ble Members, you are well aware that the post of the Speaker is of great importance and for conducting the proceedings of the House according to the rules and conventions, I certainly seek your kind cooperation and active help from all sides. I hope and trust that you will kindly extend your fullest cooperation in conducting the business of this House. In democracy, you are well aware that the discipline has to be self-imposed. If, there is no discipline then the conduct of the House will becomes little difficult. I am sure that the experienced Members of the House will help me, co-operate with me in conducting the business of this House. I also expect the Members of the House to speak with utmost restraint and also with the sense of responsibility. Acrimony is not good for the sake of acrimony. Speeches simply to catch the eyes of the Press should be resisted and I hope and expect that you will uphold the high dignity and tradition of this House by not indulging in personal charges against one another. I am well aware of the concern of the Members of the House as expressed by all sides that the standard of debate has probably gone down in the past. This august House must discuss the issues with the sense of responsibility in a disciplined manner, in a positive way and I think that the standardized debate will emanate from this House because people have sent you here to express your concerns and to legislate. Legislation is a very serious business. You are making laws for the future of the State and future generations. Therefore, a healthy contribution towards building of laws, Bills and legislation should come from all sides and

with that positivity, I expect that the Members of this House will co-operate with the Chair. In debates you require a certain degree of tolerance and understanding and I also expect that the Members will have mutual respect for one another. In democracy it is not only the responsibility of the ruling party to serve the people of the State but I also understand the importance of opposition which has a vital role to play by voicing the genuine concerns and problems of the common people in the State. I will, as Speaker of the House, fully try to safeguard the interests of opposition and every Member of the House and see that he may get full opportunity to say the things with full positivity and they will by speaking in the House ventilate the genuine grievances of the people of the State in a very constructive manner. Dear members, I am well aware of my background. Very well said by Pandit Lakshmi Chand ji 'खानदान का बालक हो, उनै जात जाण का डर हो सै' I will behave as you expect me to behave but at the same time I have lot of expectations from both sides, particularly from the side of opposition. I am sure that the Members of the House will extend their cooperation in a disciplined manner to maintain the high degree of decorum and decency in the House.

In the end, I again thank all of you and pray to Almighty to give me the required strength in performing the functions of the Speaker of this august House effectively, genuinely without any influence from any person and in utmost fair manner. Thank you, Members. (Thumping)

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

PWD (B&R) Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table of the House-

The Haryana Rural Development (Amendment) Ordinance, 2010 (Haryana Ordinance No. 10 of 2010).

The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Ordinance, 2010 (Haryana Ordinance No.11 of 2010).

[Shri Randeep Singh Surjewala]

The Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Ordinance, 2010 (Haryana Ordinance No. 12 of 2010).

The Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Ordinance, 2010 (Haryana Ordinance No.13 of 2010).

The Haryana Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 2011 (Haryana Ordinance No. 1 of 2011).

The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2011 (Haryana Ordinance No. 2 of 2011).

Sir, I beg to re-lay on the Table of the House-

The Personnel Department Notification No. G.S.R.15/ Const./ Art.320/2010, dated the 17th June, 2010 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

Sir, I also beg to lay on the Table of the House-

The Personnel Department Notification No. G.S.R.25/Const./ Art.320/2010, dated the 29th October, 2010 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R.26/Const./ Art.320/2010, dated the 13th December, 2010 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No.S.O.113/H.A.3/1975/ S.8/2010, dated the 18th November, 2010 regarding amendment in Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Allowances Rules, 1997, as required under section 8(2) of the Haryana Legislative

Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances Act, 1975.

The General Administration Department Notification No. S.O.114/H.A.3/1970/ S.9/2010, dated the 18th November, 2010 regarding amendment in Haryana Ministers Allowances Rules, 1972, as required under section 9(2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

The Revenue and Disaster Management Department Notification No. S.O. 8/H.A.7/2008/S.19/2011, dated the 18th January, 2011 regarding the Haryana Evacuee Properties (Management and Disposal) Rules, 2011, as required under section 19 (2) of the Haryana Evacuee Properties (Management and Disposal) Act, 2008.

The Audit Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation for the year ended 31st March, 2010, as required under section 37 (7) of the State Financial Corporations Act, 1951.

The 42nd Annual Report of Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited for the year 2008-2009, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The 10th Annual Report of Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 2008-2009, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The 36th Annual Report of Haryana Seeds Development Corporation Limited for the year 2009-2010, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Audit Report and Annual Accounts of Haryana State Agricultural Marketing Board, Panchkula for the year 2007-2008, as required under section 19-A(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University Hisar for the year 2008-2009, as

[Shri Randeep Singh Surjewala]

required under section 39 (3) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The Finance Accounts (Volume-I & II) of the Government of Haryana for the year 2009-2010 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 2009-2010 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2010 (Civil) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2010 (Revenue Receipts) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2010 (Commercial) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2010 on State Finances Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

विशेषाधिकार मामले के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।

(i) श्री ओमप्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरूद्ध

Mr. Speaker : Now, Dr. Raghuvir Singh Kadian, M.L.A., Chairperson, Committee of Privileges, will present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by myself as a

Member of this House against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false statement on the floor of the House on 11th March, 2010 regarding imposing VAT on Salt which was made willfully, deliberately and knowingly by Shri Om Prakash Chautala, MLA thereby misleading the House and amounting to committing the contempt of the House/ breach of privilege by him and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Dr. Raghuvir Singh Kadian (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, MLA (now Hon'ble Speaker) against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false statement on the floor of the House on 11th March, 2010 regarding imposing VAT on Salt which was made willfully, deliberately and knowingly by Shri Om Prakash Chautala, MLA thereby misleading the House and amounting to committing the contempt of the House/breach of privilege by him.

Sir, I beg to move-

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved-

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is-

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was put and carried.

(ii) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरूद्ध

Mr. Speaker : Now, Dr. Raghuvir Singh Kadian, MLA., Chairperson, Committee of Privileges, will present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of

[Mr. Speaker]

alleged breach of privilege given notice of by Shri Bharat Bhushan Batra, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 11th March, 2010 willfully, deliberately and knowingly stating that the Haryana Urban Development Authority had not acquired a single acre of land since coming into power of the Congress Government from March, 2005 till date. He has also stated that not even a single sector of HUDA had been floated during this period, whereas the Parliamentary Affairs Minister, Shri Randeep Singh Surjewala had pointed out the correct factual position but Shri Om Prakash Chautala again asserted that neither even a single sector of HUDA was floated nor a single acre of land was acquired by HUDA from March, 2005 till date. By doing so, Shri Om Prakash Chautala has tried to mislead the House willfully, knowingly and deliberately which amounts to contempt of the House/ Breach of Privilege committed by him on the floor of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of Breach of Privilege/contempt of the House and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Dr. Raghuvir Singh Kadian (Chairperson, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the second Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bharat Bhushan Batra, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 11th March, 2010 willfully, deliberately and knowingly stating that the Haryana Urban Development Authority had not acquired a single acre of land since coming into power of the Congress Government from March, 2005 till date. He has also stated that not even a single sector of HUDA had been floated during this period, whereas the Parliamentary Affairs Minister, Shri Randeep Singh Surjewala had pointed out the correct factual position but Shri Om Prakash Chautala again asserted that neither even a single sector of HUDA was floated nor a single acre of land was

acquired by HUDA from March, 2005 till date. By doing so Shri Om Prakash Chautala has tried to mislead the House willfully, knowingly and deliberately which amounts to contempt of the House/Breach of Privilege committed by him on the floor of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of Breach of Privilege/contempt of the House.

Sir, I beg to move-

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved-

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is-

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was put and carried.

(iii) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरूद्ध

Mr. Speaker : Now, Dr. Raghuvir Singh Kadian, MLA and Chairperson of Privileges Committee will present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Aftab Ahmed, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made categorically incorrect and misleading statement on the floor of the House on 11th March, 2010 stating that Reliance Company has been given 1500 acres of Government land at a cost of Rs.370 crore in garb of giving employment, particularly when HSIIDC had acquired this land for welfare of the people. He further stated that a four acres chunk of land out of this acquired land has been auctioned for Rs.290 crore. He consequently alleged loss to the exchequer and fraud on account thereof. He further stated that land of farmers was acquired in the name of 'SEZ' and they were told that they will be given bonus/annuity of Rs.10,000/- per acre

[Mr. Speaker]

per year. He further stated that even a rupee has not been paid till date to any farmer by way of such bonus/annuity. Whereas the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House on both the afore-stated subjects. Shri Om Prakash Chautala made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautla on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Dr. Raghuvir Singh Kadian (Chairperson of the committee of privilegs) : Speaker Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Aftab Ahmed, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made categorically incorrect and misleading statement on the floor of the House on 11th March, 2010 stating that Reliance Company has been given 1500 acres of Government land at a cost of Rs.370 crore in garb of giving employment, particularly when HSIIDC had acquired this land for welfare of the people. He further stated that a four acres chunk of land out of this acquired land has been auctioned for Rs.290 crore. He consequently alleged loss to the exchequer and fraud on account thereof. He further stated that land of farmers was acquired in the name of 'SEZ' and they were told that they will be given bonus/annuity of Rs.10,000/- per acre per year. He further stated that even a rupee has not been paid till date to any farmer by way of such bonus/annuity. Whereas the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House on both the afore-stated subjects. Shri Om Prakash Chautala made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach

of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautla on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House.

Sir, I beg to move-

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved -

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is -

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was put and carried.

(iv) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम.एल.ए. के विरूद्ध

Mr. Speaker : Hon'ble Members now, Dr. Raghuvir Singh Kadian, MLA, Chairperson, Committee of Privileges will present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by myself as Member of the House against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 6th September, 2010, stating that a news was being televised by some News Channels that in the car of Shri Gopal Kanda, Minister of State for Home, Haryana, a girl has been kidnapped and three men raped her. He further stated that Shri Gopal Kanda himself was driving the car and this car was owned by Shri Gopal Kanda. He also stated the number of Car as HR-70- L-0009. He further stated the girl was kidnapped from Delhi and was raped in Gurgaon. Therefore, the Government should resign. Whereas, the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala made a false, misleading and incorrect statement in the House. He made this statement willfully, deliberately and knowingly to

[Mr. Speaker]

mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 6th September, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Dr. Raghuvir Singh Kadian (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, MLA (Now Hon'ble Speaker) against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 6th September, 2010, stating that a news was being televised by some News Channels that in the car of Shri Gopal Kanda, Minister of State for Home, Haryana, a girl has been kidnapped and three men raped her. He further stated that Shri Gopal Kanda himself was driving the car and this car was owned by Shri Gopal Kanda. He also stated the number of Car as HR-70- L-0009. He further stated the girl was kidnapped from Delhi and was raped in Gurgaon. Therefore, the Government should resign. Whereas, the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala made a false, misleading and incorrect statement in the House. He made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 6th September, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House.

Sir, I also beg to move-

> That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was put and carried.

Mr. Speaker : Now the Sabha is adjourned till 02.00 P.M. on Monday, the 07th March, 2011.

*17.25 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 02.00 P.M. on Monday, the 07th March, 2011.)

48692—H.V.S.—H.G.P., Chd.